Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

© The Institute of Chartered Accountants of India

पेपर – 2 : निगमीय तथा अन्य विधियाँ

भाग I – नवम्बर 2019 परीक्षाओं के लिए

लागू करने की घोषणाएँ

नवम्बर 2019 परीक्षाओं के लिए प्रयोज्यता

अध्ययन सामग्री (जुलाई 2017 संस्करण) 30 अप्रैल, 2017 तक सभी संशोधन के लिए अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा, अवधि के लिए कंपनी कानून भाग में सभी प्रासंगिक संशोधन / परिपत्र / सूचनाएं आदि

1 मई 2017 से 30 अप्रेल, 2019 तक नीचे दिया गया है :

1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 के लिए प्रासंगिक विधान में संशोधन			
कंपनी अधिनियम, 2013 / कॉर्पोरेट कानून			
क्र. सं.	प्रासंगिक संशोधन	पृष्ठ संख्या	पहले का कानून
1.	**से संबंधित संशोधन** कंपनियों का प्रवर्तनअनुभाग 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और धारा 73 के साथ 469 (1) व 469 (2) को पढ़ने में (जमा की स्वीकृति संशोधन नियम, 2017 अधिसूचना जीएसआर 454 (ई) दिनांक 11 मई, 2017 कंपनियों में (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खंड (सी) में, उप–खंड (xviii) में, "घरेलू वेंचर कैपिटल फंड" शब्द के बाद शब्द "इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट" डाले जाएंगे।	5.4	(शब्दों को कथित उप–खंड में नए डाले गए हैं)
2.	**से संबंधित संशोधन** सरकारी कंपनियों (देखे अधिसूचना जीएसआर 585 (ई) दिनांक 13 जून 2017 को छूट केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में संशोधन दिनांक 5 जून 2015, किया जिससे अपवादो, संशोधनों और रूपांतरों सरकारी कंपनियो के मामले में प्रदान किये गये संशोधन निम्नलिखित है : धारा 96 के उपधारा (2) में, "इस तरह की अन्य जगह	7.51	इस तरह की दूसरी जगह केंद्र सरकार इस तरफ से मंजूरी दे सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	केंद्र सरकार के रूप में इस तरफ स्वीकृति दे सकती है" शब्दों के लिए, "शहर, शहर या गांव के भीतर ऐसी अन्य जगह जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थिति या ऐसी अन्य जगह है क्योंकि केन्द्र सरकार इस तरफ से स्वीकृति दे सकती है "प्रतिस्थापित किया जाएगा।"		
	प्रिंसिपल अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में पैरा 2A की प्रविष्टि, 5 जुन 2015 दिनांक : उपर्युक्त अपवाद, संशोधन और अनुकूलन (यानि 5 जून 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में दी गई अधिसूचना और अधिसूचना जीएसआर 582 (ई) दिनांक 13 जून, 2017) एक सरकारी कंपनी के लिए लागू होगी जिसने चूक नहीं की है। कंपनी अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरणों को दाखिल करना या रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम के धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना।		
3.	**से संबंधित संशोधन** निजी कंपनियों देखे अधिसूचना जीएसआर 583 (ई) 13 जून 2017 दिनांक को छूट केन्द्र सरकार अधिसूचना जीएसआर 464 (ई), 5 जून 2015 दिनांकित जिससे अपवाद, संशोधन और रूपांतरो निजी कंपनियों के मामले में प्रदान किया गया हरजाना। निम्नलिखित संशोधन हैं :		
	(1) अध्याय 1 में, धारा 2 के खंड (40)। प्रावधान के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी, निष्क्रिय कंपनी और निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट–अप है) के संबंध में वित्तीय विवरण, नकद प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है; स्पष्टीकरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वें ई टर्म "स्टार्ट–अप" या "स्टार्ट–अप कंपनी" का मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल एक निजी कंपनी है और इसे स्टार्ट–अप के अनुसार पहचाना जाता है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना।	1.9	बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।
	(2) अध्याय V में, धारा 73 के उपधारा (2) के खंड (ए) से (ई), एक निजी कंपनी पर लागू नही होंगे – (ए) जो अपने सदस्यों से स्वीकार करता है वह पेड अप शेयर पूंजी, मुफ्त संचय और प्रतिभूति प्रीमियम खाते की कुल से 100% से अधिक नही है।	5.6	धारा 73 के खंड (ए) से (ई) सदस्यों में जमा की स्वीकृति के लिए शर्ते प्रदान करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(बी) जो इसके निगमन की तारीख से पा¡च साल के लिए स्टार्ट–अप है; या (सी) जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :– (ए) जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी या सहायक कंपनी नहीं है; (बी) यदि बैंक या वित्तीय संस्थानों या किसी भी बॉडी कॉरपोरेट से ऐसी कंपनी का उधार अपनी भुगतान पूंजी पूंजी या पचास करोड़ रुपए से कम है, जो भी कम हो; तथा (सी) इस तरह के एक कंपनी ने इस धारा के तहत जमा स्वीकार करने के समय मौजूद उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है: बशर्ते कि क्लॉज (ए), (बी) या (सी) में निर्दिष्ट कंपनी रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार किए गए पैसे का विवरण दर्ज करेगी।		5 जून, 2015 की अधिसूचना, बशर्ते कि धारा 73 के उपधारा 2 के खंड (ए) से (ई) निजी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो भुगतान के कुल के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो अपने सदस्यों से स्वीकार करता है पूंजी और निःशुल्क भंडार साझा करें, और ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेगी।
	(3) अध्याय VII में, धारा 92 के उपधार (1) के खंड (जी) निजी कंपनियों पर लागू होंगे जो छोटी कंपनियों हैं, अर्थात् – "(जी) निदेशकों द्वारा निकाली गई पारिश्रमिक की कुल राशि,"	7.11	धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (जी) को "निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक" के रूप में पढ़ा जाता है।
	(4) अध्याय VII में, ,खंड 92 के उपधारा (1) के प्रावधान, प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निजी	7.12	(4) हालांकि, एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी के

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट–अप है) के संबंध में, वार्षिक रिटर्न कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, निदेशक द्वारा हस्ताक्षर होंगे।		संबंध में, सालाना रिटर्न पर कंपनी सचिव, या जहा¡ कोई कंपनी सचिव नहीं है, तो कम्पनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	(5) धारा 143 (3)(i), एक निजी कंपनी पर लागू नहीं होगा :– (i) जो एक व्यक्ति कंपनी या एक छोटी कंपनी है; या (ii) जिसका नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण या के अनुसार रूपये पचास करोड़ रूपये से कम कारोबार है, जिसमें बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी भी समय कॉर्पोरेट से कुल पचास करोड़ रुपये से कम वित्तीय वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट ऋण लेते हैं।"	10.24	(5) धारा 143 (3) (i) प्रदान करता हैं – क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता है।
		प्रिंसिपल अधिसूचना जीएसआर 464 (ई) में पैरा 2A की प्रविष्टि, 5 जून 2015 दिनांक : उपरोक्त अपवाद, संशोधन और अनुकूलन एक निजी कंपनी के लिए लागू होंगे, जिसने धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरणों को दर्ज करने या रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम के धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है।	
4.	**से संबंधित संशोधन** शुद्धिपत्र अधिसूचना अतः 2218 (ई) दिनांक 13 जुलाई 2017 अधिसूचना जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून 2017 के संबंध में	उपरोक्त बिंदु 3 का संदर्भ लें	धारा 143 (3) (i) (ii) में "अधिसूचना" शब्द थे जिन्हें इस

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्रिजेंडम ने कहा कि धारा 143 (3) (i) के तहत "कथन" या "कथन" के रूप में पढ़ने के लिए "शब्द" के लिए।		अधिसूचना के माध्यम से "कथन" शब्द के साथ बदल दिया गया है।
5.	**से संबंधित संशोधन** कंपनियों अंकेक्षण परीक्षा और अंकेक्षकों द्वितीय संशोधन नियम, 2017 में कही गई अधिसूचना जीएसआर 621 (ई) दिनांक 22 जून 2017 अनुभाग 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन। केंद्र सरकार इस प्रकार कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 में संशोधन करती है। इस संशोधन नियम के माध्यम से, नियम 5 (बी) में, "बीस" शब्द के लिए, शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	10.6	इससे पहले नियम 5 (बी) ने कहा कि – निजी, निजी कंपनियों ने 20 करोड़ रूपये या उससे अधिक की शेयर पूंजी का भुगतान किया है;
6.	**से संबंधित संशोधन** धारा 143 (3) (i) के तहत कुछ निजी कंपनियों को छूट के प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण परिपत्र सं. 08/2017 दिनांक 25 जुलाई 2017। अधिसूचना सं. जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून, 2017 ने कहा कि धारा 143 (3) (i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 10 ए को कुछ निजी कंपनियों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस परिपत्र के मुद्दे के माध्यम से, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए लागू होगी, जो कहा गया है या तिथि के बाद अधिसूचना।	–	उपधारा (3) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए धारा 143, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में बताएगी : बशर्ते कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक स्वेच्छा से 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में

© The Institute of Chartered Accountants of India

			उल्लिखित बयान शामिल कर सकते हैं और 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले समाप्त हो सकते हैं
7.	**से संबंधित संशोधन** धारा 143 (3) (i) के तहत कुछ निजी कंपनियों को छूट के प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण परिपत्र सं. 08/2017 दिनांक 25 जुलाई 2017 अधिसूचना सं. जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून, 2017 ने कहा है कि धारा 143 (3) (i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनियों (लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 10 ए को कुछ निजी कंपनियों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस परिपत्र के मुद्दे के माध्यम से, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए लागू होगी, जो कहा गया है या तिथि के बाद अधिसूचना।	–	उपधारा (3) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए धारा 143, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में बताएगीः बशर्ते कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक स्वेच्छा से 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में उल्लिखित बयान शामिल कर सकते हैं और 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले समाप्त हो सकते हैं।
8.	**से संबंधित संशोधन** कंपनियों का प्रवर्तन (जमा की स्वीकृति) द्वितीय संशोधन	5.8	बशर्ते कि एक निजी कंपनी अपने

© The Institute of Chartered Accountants of India

	नियम, 2017 देखे अधिसूचना जीएसआर 1172 (ई) खंड 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और साथ 73 पढ़ने में सितंबर 2017 19 दिनांकित 469 (1) और 469 (2)। उप–नियम (3) में, नियम 3 में कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि एक निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी और एक निजी कंपनी अपने सदस्यों से एक सौ प्रतिशत से ज्यादा न हो। पेड अप शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की कुल राशि और ऐसी कंपनी फॉर्म डीपीटी – 3 में रजिस्ट्रार को स्वीकार किए गए पैसे का विवरण दर्ज करेगी। स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी का अर्थ है एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत एक अनुमोदित बहु सेवा विशेष आर्थिक जोन सेट–अप में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के साथ पढ़ा गया है : बशर्ते कि सदस्यों से जमा किए जाने वाले जमा के संबंध में अधिकतम सीमा निजी कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू न हो, अर्थात् :– (i) एक निजी कंपनी जो इसके निगमन की तारीख से पांच साल के लिए स्टार्ट–अप है ; (ii) एक निजी कंपनी जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् : (ए) जो किसी अन्य कंपनी के सहयोगी या सहायक नहीं है; (बी) बैंक या वित्तीय संस्थानों या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से ऐसी कंपनी का उधार इसकी भुगतान की गई पूंजी या पचास करोड़ रूपए से कम है, जो भी इनमें से कम हो; तथा (सी) ऐसी कंपनी ने धारा 73 के तहत जमाए स्वीकार करने के समय मौजूद उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है :		सदस्यों से स्वीकार कर सकती है, जो कि पेड अप शेयर पूंजी,फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के कुल सौ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है और ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार को इस तरह से स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेगी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बशर्ते कि जमा करने वाली सभी कंपनियां फॉर्म डीपीटी – 3 में रजिस्ट्रार को स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेंगी।"		
9.	**से संबंधित संशोधन** 20 सितंबर 2017 की अधिसूचना एसओ 3086 (ई) के माध्यम से। केन्द्र सरकार इसके द्वारा तारीख, जिसे कहे गए अधिनियम की धारा 2 के ,खंड (87) के प्रावधान को अस्तित्व में आ जाएगा के रूप में 20 सितम्बर 2017 को नियुक्त करता है। धारा 2(87) के नियम को अंतिम रूप में पढ़ा जाएगा बशर्ते कि निर्धारित की जाने वाली ऐसी श्रेणी जिसमें निर्धारित की जाने वाली ऐसी श्रेणी जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक सहायक कंपनीयों की परत न हो, जैसा कि निर्धारित किया गया है।	1.20	प्रतिबन्ध नव अधिसूचित है।
10.	**से संबंधित संशोधन** कंपनियां (संशोधन) अधिनियम, 2017 कंपनी अधिनियम, 2013 के वर्गों के बाद, कंपनियों (संशोधन) अधिनियम, 2017 तक संशोधित किया गया है 26 से प्रभावी जनवरी, 2018 (अधिसूचना अतः 351 (ई) और 9 से फरवरी, 2018 (अधिसूचना अतः 630 (ई) Notifications: S.O. 1833 (E) dated 7th May, 2018; S.O. 2422(E) dated 13th June, 2018; SO. 3299(E) dated 5th July, 2018; S.O. 3300(E) dated 5th July, 2018; S.O. 3684(E) dated 27th July, 2018; S.O. 3838(E) dated 31st July, 2018; S.O. 3921(E) dated 7th August, 2018 and S.O. 4907(E) dated 19th September, 2018.		
	1. धारा 2 – कंपनी अधिनियम 2013 (बाद में प्रमुख अधिनियम के रूप में संदर्भित)		
	(i) खंड 6 में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण को रखा जाएगा – *'Explanation*.—For the purpose of this clause,— (a) अभिव्यक्ति, रस खण्ड के उद्देश्य के लिए	1.4	*'Explanation*.—For the purpose of this clause,— (a) अभिव्यक्ति, रस खण्ड के

© The Institute of Chartered Accountants of India

	महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य कुल अंश पूंजी का कम से कम 20 प्रतिशत नियंत्रण है या अनुबंध के अर्न्तगत व्यावसाय का निर्णय अधिकार होना आवश्यक। (b) अभिव्यक्ति, संयुक्त उद्यम से आशय एक संयुक्त व्यवस्था जिसमें संयुक्त नियंत्रण वाले दलो के संयुक्त उद्यम की संपति का अधिकार है। Enforcement Date. 7th May 2018		उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य कुल अंश पुंजी का कम से कम 20 प्रतिशत नियंत्रण है या अनुबंध के अर्न्तगत व्यावसाय का निर्णय अधिकार होना आवश्यक।
	(i) खंड (28) के लिए, निम्नलिखित खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– '(28) "लागत लेखाकार" का अर्थ लागत और कार्यलेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार है और जो उपधारा के तहत अभ्यास का वैध प्रमाण पत्र रखता है (1) उस अधिनियम की धारा 6 के;	1.7	लागत एकाउंटेंट का मतलब लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार है।
	(ii) खंड (30) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि – (ए) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अध्याय III-D में निर्दिष्ट उपकरण; तथा (बी) इस तरह के अन्य उपकरण, जैसा कि एक कंपनी द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, डिबेंचर के रूप में नही माना जाएगा;"	1.8	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।
	(iii) खंड (41) में, पहले परंतुक में, शब्द "सहायक", शब्द "या सहयोगी कंपनी' के बाद सम्मिलित किया जाएगा; (iv) खंड (46) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात् :– 'स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "कंपनी" में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट शामिल	1.9	– (शब्द नए डाले गए हैं) जो एक होल्डिंग कंपनी या इंडस्ट्रीज आइए बाहर निगमित कंपनी की सहायक कंपनी है

© The Institute of Chartered Accountants of India

	है;'A	1.11	– (स्पष्टीकरण नया डाला गया है)
	(v) खंड (49) छोड़ा जाएगा	1.11	(4 9) इच्छुक निदेशक का मतलब है कि एक निदेशक जो किसी भी तरह से है, चाहे वह स्वयं या उसके किसी भी रिश्तेदार या फर्म, बॉडी कॉरपोरेट या व्यक्तियों के अन्य संगठन के माध्यम से, जिसमें वह या उसके रिश्तेदार साथी, निदेशक या सदस्य हैं, एक अनुबंध या व्यवस्था में रूचि रखते हैं, या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था, कंपनी द्वारा या उसके द्वारा दर्ज या प्रवेश करने के लिए; यह परिभाषा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए धारा 184 के लिए प्रासंगिक है, निदेशकों द्वारा ब्याज के प्रकटीकरण से संबंधित धारा 184 और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित पार्टी

© The Institute of Chartered Accountants of India

			लेनदेन से संबंधित धारा 188 के लिए।
	खंड (51) में (vi), - (ए) उपखंड (iv) में, शब्द "और" छोड़ा जाएगा; (बी) उप–खंड (v) के लिए, निम्नलिखित उप–खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(v) ऐसे अन्य अधिकारी, निदेशक के नीचे एक से अधिक स्तर नहीं जो पूर्णकालिक रोजगार में हैं, बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित; और (vi) ऐसे अन्य अधिकारी को निर्धारित किया जा सकता है;"	1.11	(iii) पूरे समय के निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा (v) ऐसे अन्य अधिकारी को निर्धारित किया जा सकता है;
	(छ) खंड (57) में, शब्द "अैर प्रतिभूतियों प्रीमियम खाता" शब्दों के लिए ", प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और लाभ – हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट संतुलन," प्रतिस्थापित किया जाएगा	1.12	.... कुल मिलाकर कटौती के बाद भुगतान – भुगतान शेयर पूंजी का कुल मूल्य और मुनाफे और प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व .....
	(ii) (V iii) खंड (71) (ii) (क), शब्द "कंपनी," के बाद, शब्द "और" डाला जाएगा;	1.15	(शब्द नया डाला गया है)
	(झ) खंड (72), परंतुक में, खंड (ए) में, के बाद शब्द "राज्य अधिनियम", शब्द "इस अधिनियम या पिछले कंपनी कानून के अलावा अन्य" डाला जाएगा;	1.16	(शब्द नया डाला जाता है)
	(x) (76) में, सब–क्लॉज (ज) के लिए, निम्नलिखित उप–खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "(viii) कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो – (ए) ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सहायक या एक सहयोगी कंपनी है; (बी) एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसके लिए यह सहायक भी है; या (सी) एक निवेश कंपनी या कंपनी के उद्यमक;"; स्पष्टीकरण 1 – इस खंड के प्रयोजन के लिए, "निवेश कंपनी या कंपनी के उद्यमकर्ता" का अर्थ है बॉडी कॉरपोरेट जिसका कंपनी में निवेश होगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी बॉडी कॉरपोरेट की एक सहयोगी कंपनी बन जाएगी।	1.17	(viii) कोई भी कंपनी जो – (ए) ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सहायक या एक सहयोगी कंपनी; या (बी) एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसके लिए यह सहायक भी है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

	खंड (xi) (85) – (ए) उपखंड (i) में, "पा¡च करोड़ रूपए" शब्दों के लिए, "दस करोड़ रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;	1.20	के लिए (ए) पेड–अप शेयर पूंजी जिसमें पचास लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है निर्धारित की जा सकने वाली उच्च राशि जो पांच करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए रुपये या
	(बी) उपखंड में (ii), - (ए) "अपने पिछले लाभ और हानि खाते के अनुसार" शब्दों के लिए, "तत्काल वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (बी) "बीस करोड़ रूपए" शब्दों के लिए, "सौ करोड़ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;		(बी) के लिए :– जिसका करोबार पिछले लाभ और हानि खाते के मुताबिक दो करोड़ रूपये से अधिक नहीं है या ऐसी उच्च राशि निर्धारित की जा सकती है जो बीस करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए :
	(ii) खण्ड (87) के उपखण्ड में, या के अनुसार कुल अंश पूंजी शब्द के स्थान पर कुल मतांकन अधिकार शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा Enforcement Date 7th May 2018	1.20	(ii) कुल शेयर पूंजी का आधे अधिक नियंत्रित करता है या तो अपने आप में या एक या एक से अधिक सहायता कंपनी के साथ मिलकर।
	(बारहवीं) खंड (91) के लिए, निम्नलिखित खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– '(9 1) "कारोबार" का अर्थ है वित्तीय वर्ष के दौरान	1.21	(9 1) टर्नओवर का मतलब है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

	किसी कंपनी द्वारा माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण या दोनों के लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राजस्व की कुल राशि;		माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण या दोनों के द्वारा किए गए राशि की प्राप्ति का कुल मूल्य; नोट : परिभाषा में अस्पष्टता में है। इसलिए, इस परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, परिभाषा में परिवर्तन कंपनियों (संशोधन) विधेयक, 2016 में लंबित है।
	2. प्रमुख अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात् :– "3 ए । अगर किसी कंपनी के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, तो सार्वजनिक कंपनी के मामले में, सात से नीचे, एक निजी कंपनी के मामले में, दो से नीचे, और कंपनी छह महीने से अधिक समय तक व्यवसाय करती है जबकि सदस्यों की संख्या इतनी कम हो गई है, हर व्यक्ति जो उस कंपनी के सदस्य हैं, जब वह छह महीने के बाद करोबार पर चलता है और इस तथ्य से अवगत है कि यह सात से कम सदस्यों या दो से कम कारोबार कर रहा है सदस्य, जैसा भी मामला हो, उस समय के दौरान अनुबंधित कंपनी के पूरे ऋण के भुगतान के लिए अलग–अलग उत्तरदायी होगा, और इसके लिए गंभीर रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	2.4	– (अनुभाग नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	3. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा में (5), खंड (i) के लिए, निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "(i) उपधारा (4) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर, अनुमोदन की तारीख से बीस दिनों की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है अन्य अवधि : बशर्ते कि नाम के आरक्षण के लिए आवेदन या किसी मौजूदा कंपनी द्वारा उसके नाम बदलने के मामले में, रजिस्ट्रार अनुमोदन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है।" प्रवर्तन दिनांक 26 जनवरी 2018	2.11	एक आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार जानकारी और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, नाम साठ दिनों की अवधि से आवेदन की तिथि के लिए सुरक्षित रखते हैं।
	4. धारा 7 की उपधारा (1) प्रधान अधिनियम के अनुसार शपथ पत्र शब्द के स्थान पर एक घोषणा, शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रवर्तन दिनांक 27 July 2018	2.18	अनुबोधक के प्रत्येक सदस्य तथा यदि कोई व्यक्ति नाम प्रथम निर्देशक के रूप में लिया गया है से एक शपथ लिया जाएगा।
	5. धारा 12, उपधारा (1) प्रधान अधिनियम के अनुसार, पंजीकरण के प्रदत दिनों से, शब्द के स्थान पर, पंजीकरण के तीस दिनों के भीतर शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।	2.22	पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण से 15वे दिने तथा हर समय कंपनी के बाद रसे संबोधित किया जाएगा।
	5, धारा 12 उपधारा (4) प्रधान अधिनियम के अनुसार 1 पन्द्रह दिनों के भीतर, शब्द के स्थान पर, तीस दिनों के भीतर शब्द प्रयोग किया जाएगा। Enconl Date 27th July, 2018	2.23	पंजीयक के परिवर्तन की सुचना परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को हर बदलाव की सुचना देना आवश्यक जो समान ही अभिलेख करेगा।
	6. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 21, शब्दों के लिए में	2.35	(ii) इस ओर से

© The Institute of Chartered Accountants of India

	"कंपनी के एक अधिकारी", शब्द "एक अधिकारी या कंपनी के कर्मचारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत कंपनी के एक अधिकारी।
	7. प्रधान अधिनियम की धारा 26 उपधारा (1) के अनुसार (i) हस्ताक्षरित और शब्द के बाद निम्नलिखित अर्न्तस्थापित किया जाएगा – इस तरह की जानकारी राज्य को दे और केंद्र सरकार के परामर्श से प्रतिभुतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली वितिय सूचनाओं पर रिपोर्ट स्थापित करे। जब तक कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस उपधारा के तहत वितीय जानकारी पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत बनाए विनियम बनाए गए है। वो नियम लागु होंगे। Enforcement Date 7th May 2018	**3.7**	(The words are newly inserted)
	7. धारा 26 उपधारा (1) प्रधान अधिनियम (ii) खण्ड (a) (B) (c) को छोड़ा जाएगा।	**3.7, 3.8, 3.9**	(a) सबसे पहले सामान्य जानकारी के तहत, विवरण पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी – (1) प्रर्वतक का नाम तथा पता – (b) द्वितीय, वितिय सुचना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागु। (d) ऐसे अन्य मामलो तथा रिपोर्ट का निर्धारण करे। जैसा कि निर्धारीत है।
	8 प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2), खंड (ख) के बाद, निम्न खंड, डाला जाएगा अर्थात् :–	3.22	- (खंड नया डाला

© The Institute of Chartered Accountants of India

	"(ग) कि, एक विशेषज्ञ द्वारा किए जाने वाले हर भ्रामक बयान के संबंध में या किसी रिपोर्ट के निहित या किसी विशेषज्ञ के मूल्यांकन से निकालने के लिए जो अधिकार है, यह बयान का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व था, या एक सही प्रतिलिपि, या रिपोर्ट या मूल्यांकन से सही और निष्पक्ष निकालने; और उसके पास विश्वास करने के लिए उचित आधार था और प्रोस्पेक्टस के मुद्दे के समय तक किया गया था, कि बयान देने वाला व्यक्ति सक्षम था इसे बनाओ और कहा गया है कि उस व्यक्ति ने प्रॉस्पेक्टस के मुद्दे पर धारा 26 के उपधारा (5) द्वारा आवश्यक सहमति दी थी और पंजीकरण के लिए प्रॉस्पेक्टस की एक प्रतिडिलीवरी से पहले या प्रतिवादी के ज्ञान के लिए उस सहमति को वापस नही लिया था, आवंटन से पहले।"। प्रवर्तन दिनांक :– 9 फरवरी 2018		गया है) बिंदु (2) के बाद बिंदु (2) में डालने के लिए
	9. प्रधान अधिनियम की धारा 42 के अर्न्तगत निम्नलिखित अनुभाग । अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा – 42. (1) इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत एक कंपनी प्रतिभुतियों का एक निजी स्थान बना सकती है। 2. निजी स्थान स्थान का निर्धारण उन व्यक्तियों के समुह द्वारा किया जाएगा जिन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारीत किया गया है। (जिन्हें पहचाने गए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जिनकी संख्या 50 से अधिक नहीं होगी या जो निर्धारीत की जा सकती है। (बाहर, योग्य संस्थागत खरीददार तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें कर्मचारी स्टॉक योजना के तहत कंपनी की प्रतिभुतिया प्रस्तावित की गयी है जो कि धारा 62 उपधारा (1) के खंड (B) के प्रावधानों के अनुसार की गयी है। इस तरह की शर्तों के अधीन एक वित्तिय वर्ष में निर्धारित किया जा सकता है। 3. निजी स्थान निर्धारित करने वाली कंपनी निजी स्थान प्रस्ताव और आवेदन को ऐसे रूप और तरीके से जारी करेगी जो पहचान किए गए व्यक्तियों (निर्धारित) के लिए निर्धारित किया जा सकता है। ओर जिनके नाम ओर पते इस तरह से निर्धारित किए गए है।	3.28 से 3.32	धारा 42 से संबंधित प्रकरण हटा दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बर्शे कि निजी स्थान प्रस्ताव ओर आवेदन त्याग का कोई अधिकार नहीं लेगा। याख्या – (i) निजी तोर पर आबंटन (शेयर आबंटन) से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा लोगो के चुने हुए समूह (सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से) के लिए प्रतिभुतिया जारी करने के लिए कोई भी प्रस्ताव या आमंत्रण जो कि निजी आबंटन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। जो कि इस खंड में निर्दिष्ट शर्तो को संतुष्ट करता है। व्याख्या (ii) योग्य संस्थागत खरीददार, से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2009 में योग्य संस्थागत खरीददार है। जिसमें भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत समय–समय पर संशोधन किया जाता है। व्याख्या (iii) यदि कोई कंपनी सूचीबद्ध या असूचीबद्ध सदस्यता को आमंत्रित करने या आबंटन करने का प्रस्ताव बनाती है। या आबंटित करने के लिए समझौते में प्रवेश करती है। तथा प्रतिभूतिया निर्धारित संख्या से अधिक हैं। प्रतिभूतियों पर भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं। या कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध करती है या नहीं। फिर भी इसे जनता के लिए प्रस्ताव माना जाएगा तथा इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। 4. निजी आबंटन मुर्दे की सदस्यता के लिए तैयार। इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति निजी आबंटन के आवेदन करेगा तथा उसे आवेदन जारी कर दिया जाएगा लेकिन आवेदन के साथ चेक या मांग पत्र या अन्य बैकिंग माध्यम से भुगतान किया गया हो न कि नकद द्वारा। कोई भी कंपनी निजी आबंटन धन का उपयोग तब तक, नही करेगी जब तक कि आबंटन नहीं किया जाता है आबंटन की वापसी उपधारा (6) के अनुसार रजिस्ट्रार दायर की जाती है। 5. इस धारा के तहत कोई भी नया प्रस्ताव या आमंत्रण तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि किसी भी प्रस्ताव य आमन्त्रण के संबंध में आबंटन पुरा नही हो जाता है। या कंपनी द्वारा उस प्रस्ताव को वापस ले लीया गया हो या छोड़ दिया गया हो।		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जो कि निर्धारीत किए जा सकते है उपधारा (2) के तहत अधिकतम पहचान किए गए व्यक्तियों के अधिक कंपनी किसी भी समय पहचान किए गए व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को प्रतिभूतियों का एक से अधिक अंक दे सकती है। 6. इस धारा के तहत प्रस्ताव देने वाली कंपनी प्रतिभूतियों के आवेदन राशि प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आबंटन करेगी। यह कंपनी निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभूतिया आबंटन करने में सफल नही पाती तो यह आवेदन कर्ता का धन 15 दिनों के भीतर पुनः भुगतान करेगी। यदि कंपनी पुनः भुगतान में असफल हो जाती है। (निर्धारीत दिनों के भीतर) तो कंपनी 12% प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी। (60 दिनों की समाप्ति से) जो आवेदन पर राशि प्राप्त हुई नियमानुसार उसे पृथक बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। निम्न कार्य को छोड़कर उसका उपयोग। प्रयोग नहीं किया जाएगा। (a) प्रतिभूतियों के आबंटन के समायोजन में (b) धन का पुनर्भुगतान जहां कंपनी प्रतिभूतिया आबंटित करने में असमर्थ है। (7) इस धारा के तहत प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का सार्वजनिक विज्ञापन जारी नहीं करेगी या इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जनता को सुचित करने के लिए किसी भी मिडिया विपणन दलाल का उपयोग नहीं करेगी। (8) इस धारा के तहत प्रतिभूतियों का कोई भी आबंटन करने वाली कंपनी 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार में आबंटन विवरण जमा कराएगी। जिसमे आंबटन कर्ताओ की पूरी सूची उनके नाम के साथ पते (पत्ता) आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या आदि। (9) धारा (8) द्वारा निर्धारीत समय सीमा के भीतर यदि कंपनी आबंटन विवरण रजिस्ट्रार में जमा कराने में असफल हो जाती है तो कंपनी के प्रवर्तक व निदेशक, प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना भरने के लिए जिम्मेदार होंगे। जुर्माना 1000 रू. per day		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	But not exceeding 25,00,000 (10) उपधारा (ii) यदि कोई कंपनी कोई प्रस्ताव देती है। या इस धारा में उल्लंघन से धन स्वीकार करती है। तो कंपनी, उसके प्रवर्तक, निदेशक बंड के लिए उतरदायी होंगे जो निजी माध्यम से जुटायी राशि तक बढ़ सकता या 2 करोड़ रूपए जो भी अधिक हो। कंपनी जुर्माना लगाने के आदेश के 30 दिनों के उपधारा (6) में निर्धारित ब्याज के साथ को धन वापस करेगी। (11) उपधारा (9) ओर उपधारा (10) में शामिल होने के बावजूद उपधारा (12) के प्रावधानों के अनुपालन में कोई भी निजी आबंटन प्रस्ताव सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और इसके सभी प्रावधान अधिनियम और प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 और भारतीय प्रतिभुति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 लागु होंगे। Enforcement Date 7th August 2018		
	10. धारा 47 में, उपधारा (1) में, शब्द, आंकड़े और कोष्ठक "खंड 50 की धारा 43 और उप–धारा (2) के प्रावधानों", शब्द, आंकड़े और कोष्ठक "धारा 43 के प्रावधानों के लिए, धारा 50 के उपधारा (2) और धारा 188 के उपधारा (1)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	4.6	प्वाइंट (i) में, निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है, "विषय के अधीन धारा 43 के प्रावधान, धारा 50 के उपधारा (2) और धारा 188 के उपधारा (1),"
	11. खंड 53 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा डाला जाएगा, अर्थात् :– "(2 ए) उपधारा (1) और (2) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, एक कंपनी अपने लेनदारों को छूट पर शेयर जारी कर सकती है जब उसके ऋण को किसी भी वैधानिक संकल्प योजना या ऋण पुर्नगठन योजना के अनुसार शेयरों में परिवर्तित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1 9 34 या बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम, 1 9 4 9 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी दिशा निर्देश या दिशा निर्देश या नियमों के साथ।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018 A	4.10	(i) के लिए :– (उपधारा नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	12. In **section 54**, in sub-section (*1*), clause (*c*) shall be omitted. **Enforcement Date: 7th May, 2018**	4.11	**(c) not less than one year has, at the date of such issue, elapsed since the date on which the company had commenced business; and**
	13. खंड 62 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, खंड (सी) में, "पंजीकृत मूल्य निर्धारक के शब्दों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन" शब्दों के लिए, एक पंजीकृत मूल्य निर्धारक के शब्द और आंकड़े "के अनुपालन के अधीन अध्याय III के लागू प्रावधान और निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्तों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	4.22	के लिए (i) (सी) किसी भी लोगों को है, अगर यह एक विशेष संकल्प द्वारा अधिकृत किया गया है..... इस तरह की स्थितियों के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकन विषय के मूल्यांकन रिपोर्ट से निर्धारित होता है के रूप में निर्धारित ....
	13. खंड 62 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) उपधारा (2) के लिए, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(2)" उपधारा (1) के खंड (ए) के उप–खंड (i) में उल्लिखित नोटिस पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड या कूरियर या डिलीवरी के प्रमाण वाले किसी भी अन्य मोड के माध्यम से भेजा जाएगा इस मुद्दे के से कम से कम तीन दिन पहले सभी मौजूदा शेयरधारकों को।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018 A	4.22	शेयरों के प्रस्ताव की सूचना पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी मौजूदा शेयरधारकों को कम से कम तीन दिन पहले इस मुद्दे

© The Institute of Chartered Accountants of India

			को खोलने से पहले भेजी जाएगी।
	(14) प्रधान अधिनियम धारा 73 उपधारा (2) के अनुसार (1) खंड (c) प्रतिस्थापित किया जाएगा। (C) प्रत्येक वर्ष अप्रेल के 13 दिन पूर्व ऐसी राशि जमा कराना जो वित्तिय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा राशि के 20 प्रतिशत से कम नही होगी। तथा अलग अनुसूचित बैंक खाते में रखा जाता है। जिसे जमा पुनभुगतान आरक्षित खाता कहा जाता है।	5.6	(c) ऐसी राशि जमा कराना जो वितिय वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा राशि की 15 प्रतिशत से कम नही होगी इस राशि को अलग आरक्षित बैंक खाते में रखा जाता है। जिसे जमा पुनर्भुगतान आरसिम खाता कहा जाता है।
	14. प्रधान अधिनियम धारा 73 उपधारा (2) अनुसार (ii) खंड (d) छोडा जाएगा। 14 प्रधान अधिनियम धारा 73 उपधारा (2) अनुसार (iii) इस खंड (e) इस तरह के जमा, शब्दो के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, "इस तरह के जमा तथा जहा चुक हुई थी कंपनी ने एक अच्छी चूक की क्योंकि कंपनी की पाँच साल की अवधि व्यतीत हो गयी द्वारा चैक को अच्छा बनाने की तिथि से।	5.6	(d) इस तरह से ओर जमा बीमा स्वीकार किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।
		5.6	(e) इस तरह से ओर जमा बीमा स्वीकार किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।
	15. धारा 74 उपधारा (1) खंड (b) निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया गया। "(*b*) लागु होने के तिन वर्ष के भीतर अथवा जमाओं की अवधी जो भी पहले हो में भुगतान करना एसी जमाओं का नवीनीकरण अध्याय v के प्रावधान एंव इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार होगा। प्रवर्तन दिनांक : 15th August, 2018	5.13	ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर या उस तिथि से जिससे ऐसा भुगतान देय हुआ जो भी पहले हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	16. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 76A में, – (ए) खंड (ए) में, "एक करोड़ रूपये" शब्दों के लिए, "कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए जमा राशि की एक करोड़ रूपए या दो गुना राशि, जो भी कम हो," को प्रतिस्थापित किया जाएगा, **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी 2018**	(ए) 5.14	के लिए (ए) कंपनी .... एक करोड़ रूपये से कम नहीं हो सकती है, लेकिन जो दस करोड़ रूपये तक बढ़ सकती है; तथा
	16. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 76A में , – (बी) खंड (बी) में, – (i) "सात साल या ठीक से" शब्दों के लिए, "सात साल और जुर्माना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) शब्द "या दोनों के साथ" छोड़े जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	5.15	(बी) के लिए हर अधिकारी .... कारावास जो **सात साल** तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो पच्चीस लाख रूपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो **दो करोड़ रूपए** तक बढ़ा सकता है, या दोनों के साथ/
	17. धारा 77 उपधारा (1) प्रधान अधिनियम तीसरे नियम के बाद निम्नलिखित नियम को सम्मिलित किया जाएगा। "यह धारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किए गए ऐसे शुल्कों पर लागू नही होगी। **Enforcement Date: 7th May, 2018**	6.3	(The proviso is newly inserted)
	18. धारा 78 प्रधान अधिनियम के अनुसार शब्द ओर आंकड़े धारा 77 द्वारा निर्दिष्टि समय के भीतर प्रभार का पंजीयन, के स्थान पर शब्द "प्रभार का पंजीयन 30 दिनों के भीतर, उपधारा (1) धारा 77 अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है। En Date 7th May 2018	6.4	धारा 78 अनुसार प्रभार का पंजीयन 30 दिनों के भीतर, जिस व्यक्ति के पद में बनाया गया है, वह आवेदन कर सकता है।
	19 धारा 82 उपधारा (1) प्रधान अधिनियम के अनुसार (i) शब्द कोष्ठक आंकडे। धारा 77 की उपधारा (1) के प्रावधान जहा¡ तक हो सकता है। इस धारा के तहत	6.7	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 82 अनुसार ऐसे

© The Institute of Chartered Accountants of India

	दिए गए सुचना पर लागू होते है। **Enforcement Date 5th July 2018**		भुगतान की तारीख ओर धारा 77 (1) के प्रावधानो के अनुसार, जहा तक हो सकता है इस धारा के तहत दी गयी सूचना पर लागू होता है।
	19. प्रधान अधिनियम धारा 82 उपधारा (1) अनुसार (ii) निम्नलिखित नियम सम्मिलित किए जाएंगे – "रजिस्ट्रार कंपनी या प्रभार धारक द्वारा एक आवदेन पर, इस तरह के भुगतान के तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर भुगतान या संतुष्टि की अनुमति दे सके, अतिरिक्त शुल्क जो भी निर्धारित किया गया है। **Enforcement Date: 5th July, 2018**		– (The proviso is newly inserted)
	20. धारा 89 प्रधान अधिनियम उपधारा (6) अनुसार शब्द और आंकडे "धारा 403 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर" छोडा जाएगा। **Enforcement Date: 7th May, 2018**	(7.9)	उक्त शब्द छोड़े गए है। (अध्ययन सामग्री में धारा 403 का संदर्भ नहीं है।)
	20 धारा 89 प्रधान अधिनियम उपधारा (7) शब्द और आँकडो के लिए "धारा 403 की उपधारा (1) के लिए अनंतिम के तहत "उसके बाद "शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 7th May 2018	(7.9)	उक्त शब्द छोड़े गए है। (अध्ययन सामग्री में धारा 403 का संदर्भ नहीं है।)
	20 धारा 89 प्रधान अधिनियम उपधारा (9) के बाद निम्न उपधारा को सम्मिलित किया जाएगा। (10) इस धारा और धारा 90 के प्रावधानो के लिए एक शेयर के लाभकारी ब्याज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अनुबंध या व्यवस्था, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार शामिल है। (i) प्रयोग या वजह ऐसे अंश से जुड़ी कोई भी था सभी अधिकार प्राप्त करने के लिए। (ii) इस तरह के शेयर के संबंध में किसी भी लांभाश था अन्य वितरण में भाग लेते है। **Enforcement Date: 13th June, 2018**	(7.9)	यह 34 उपधारा नयी सम्मिलित की गयी है।
	21. धारा 90 प्रधान अधिनियम निम्न धारा प्रतिस्थापित	(7.10)	जा¡च ओर कुछ

© The Institute of Chartered Accountants of India

	की गयी है। कम्पनी के सार्थक लाभकारी मालिक का पंजीयन (1) प्रत्येक एक व्यक्ति, कार्य अकेला या साथ में, करता है। एक या अधिक लोगों या संस्था के माध्यम से (जिसमें एक संस्था और व्यक्ति निवासी बाहरी शामिल है) लाभार्थी हित रखते है। जो कि 25 प्रतिशत से कम नही होगा या जैसा निर्धारित किया गया हो। कम्पनी की अंश पूंजी में या प्रभाव के अधिकार, या वास्तविक प्रभाव या नियंत्रण खंड (27) धारा (2) में परिभाषित रूप से दर्शाया जा सकता है। कंपनी के उपर (यहा महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी के रूप में संदर्भित) अपने हित और अन्य विवरणों की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए, इस तरह के लाभार्थी हित या अधिकारों के अधिग्रहण की अवधि के भीतर और उसके किसी भी परिवर्तन के बारे में, एक घोषणा कर देगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार उन व्यक्ति व्यक्तियों के समूह को निर्धारित कर सकती है जिनको इस उपधारा के अर्न्तगत घोषणा की आवश्यकता नही होगी। (2) प्रत्येक कम्पनी उपधारा (1) के अर्न्तगत व्यक्ति को घोषित ब्याज का रजिस्ट्रर बनाए रखेगी और उसमें परिवर्तन जिसमें व्यक्ति का नाम जन्मतिथि पता, कंपनी में स्वामित्व का विवरण, ओर ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए गए है। (3) उपधारा (2) के तहत बनाए गए रजिस्टर कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निरीक्षण करने के लिए खुले होंगे। (4) प्रत्येक कंपनी, कंपनी के महत्वपूर्ण स्वामियों का विवरण दर्ज करेगी तथा रजिस्ट्रार के लाभ पते और अन्य विवरणों के साथ उसमें बदलाव निर्धारित समय के भीतर करेगी। इस तरह के रूप और तरीके निर्धारित किए जा सकते है। (5) कंपनी किसी भी व्यक्ति को सूचना देगी जिसे कंपनी जानती है या विश्वास करने का उचित कारण हैं। (a) वह कंपनी का महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक हो सकता है। (b) जिसे महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी या किसी अन्य		मामला में हिस्सेदारी के लाभकारी स्वामित्व यह धारा के केवल उस धारा के तहत आदेशित केंद्रीय जांच को सक्षम करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	व्यक्ति की पहचान का ज्ञान होता है। (c) वह सूचना जारी करने के 3 वर्ष की अवधि में कंपनी का महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक / स्वामी है। तथा जो इस धारा के अर्न्तगत कंपनी का महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी के रूप में पंजीकृत नहीं है। (6) उपधारा (5) के अनुसार निर्धारित व्यक्ति से सूचना आवश्यक है जो निर्धारित समय जो कि सूचना के 30 दिनों से ज्यादा नही होगा। (7) कंपनी अनुसार (a) जहा व्यक्ति कंपनी को सुचना द्वारा आवश्यक जानकारी निश्चित समय के भीतर देने में विफल होता है। या (b) जहा दी गयी जानकारी संतोषजनक नही है सूचना में दी गयी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिकरण को आवेदन करे। एक आदेश के निर्देश के लिए अंश हस्तान्तरण के संबंध में प्रतिबंध के अधीन ब्याज, अंश से जुड़े सभी अधिकारो का निलबंध और अन्य मामले जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। (8) अधिकरण उपधारा (7) के तहत किसी भी आवेदन पर सबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद इस तरह के आदेशों को आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर शेयरों से जुड़े अधिकारों का प्रतिबंधित कर सकता है। इस तरह की अन्य अवधि निर्धारीत की जा सकती है। (9) कंपनी या व्यक्ति अधिकरण के आदेश पर अधिकरण को उपधारा (8) के अर्न्तगत रियायत के लिए आवेदन कर सकता है। (10) यदि उपधारा (1) के अर्न्तगत व्यक्ति घोषणा करने में चुक करता है। तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 1 लाख से कम नही लेकिन ऐसे 10 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चुक लगातार होती है तो जुर्माना को बढ़ाकर प्रतिदिन 1000 किया जा सकता है। (दिन जहा से पहली चुक की गयी) (11) यदि किसी कंपनी को उपधारा (2) के तहत रजिस्टर बनाए रखने और उपधारा (4) के तहत सूचना दर्ज करने की आवश्यकता होती है। ओर यदि ऐसा करने मं विपल रहता है या निरीक्षण के रूप में कंपनी		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	या कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को प्रदान करने से इनकार करती है, तो चूक के लिए कंपनी पर जुर्माना होगा जो 10 लाख से कम नही तथा 50 लाख तक हो सकता है। यदि चूक जारी रहती है तो हर दिन 1000 रूपये तक बढ़ सकता है। जहा¡ से प्रथम चूक की गयी। (12) यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या किसी भौतिक जानकारी को दबाता है जिसके बारे में वह इस ,खंड के तहत की गयी घोषण जानता है तो वह धारा 447 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। **Enforcement Date 18th June 2018**		
	22. धारा 92 प्रधाान अधिनियम उपधारा (4) अनुसार शब्द और आँकड़े "धारा 403 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर, छोडा जाएगा। **Enforcement Date 7th May 2018**	(7.12)	वार्षिक विवरण की एक प्रति रजिस्ट्रार में 60 दिनों के भीतर (प्रथम AGM) के जमा करानी होगी **within the time specified under section 403**
	22 धारा 92 प्रधान अधिनियम उपधारा (5) अनुसार शब्द और आँकड़े, धारा 403 अर्न्तगत अतिरिक्त शुल्क साथ) के स्थान पर शब्द उसमें, वहा प्रतिस्थापित किया जाएगा। **Enforcement Date: 7th May, 2018**	(7.12)	(अध्ययन सामग्री में धारा 403 का वितरण नही है।)
	23. धारा 93 प्रधान अधिनियम को छोड़ा जाएगा Em Date 13th June 2018	7.13	धारा 93 कंपनी का विवरण प्रत्येक स्थिति में
	24. धारा 84 प्रधान अधिनियम उपधारा (1) अनुसार प्रथम नियम में शब्द "रजिस्ट्रार को अग्रिम में प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव की प्रतिदायी को छोड़ा जाएगा। E Date 13th June 2018	7.14	बदलात को आरेख के रूप में बनाया जाए।
	24. धारा 94 प्रधान अधिनियम उपधारा (3) के अनुसार निम्नलिखित नियम को सम्मिलित किया जाएगा। "रजिस्टर या सूची या विवरण उपधारा (2) के तहत	7.14	- (The proviso is

© The Institute of Chartered Accountants of India

	प्रतिया या निरीक्षण के लिए उपलब्ध नही होंगे। E Date 13th June 2018		newly inserted)
	25. धारा 96 प्रधान अधिनियम उपधारा (2) के नियम में शब्द "उपलब्ध कराया, को प्रतिस्थापित किया जाएगा, एक गैर सूचीबद्ध कंपनी की वार्षिक आम बैठक भारत में किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है। यदि सहमति सभी सदस्यों द्वारा लिखित रूप या इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा दी गयी हो। E Date 9th Feb 2018	7.51	- (The proviso is newly inserted)
	26. प्रिंसिपल अधिनियम की **धारा 100 में,** उप–धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् :– बशर्ते कि "कंपनी की एक असाधारण आम बैठक, निगमित कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के अलावा अन्य कम्पनी जो समामेलित हुई है भारत के बाहर, भारत के भीतर एक जगह पर रखी जाएगी। **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी 2018**	7.52	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।
	27. प्रिंसिपल अधिनियम की **धारा 101** में, उपधारा (1) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "बशर्ते कि उप–धारा में उल्लिखित की तुलना में कम नोटिस देने के बाद एक सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है यदि सहमति, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा हो। उसे – (i) वार्षिक आम बैठक के मामले में, पचास प्रतिशत से कम नहीं। वोट देने के हकदार सदस्यों में से; तथा (ii) किसी भी अन्य आम बैठक के मामले में, कंपनी के सदस्यों द्वारा – (ए) होल्डिंग, अगर कंपनी की शेयर पूंजी है, तो मतदान के हकदार सदस्यों की संख्या में बहुमत और जो पचास प्रतिशत से कम नहीं दर्शाते हैं। कंपनी की पेड–अप शेयर पूंजी के इस हिस्से के रूप में बैठक में मतदान का अधिकार देना है; या (बी) होने पर, अगर कंपनी की कोई शेयर पूंजी नहीं है, नब्बे प्रतिशत से कम नहीं। उस बैठक में कुल वोटिंग शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है: बशर्ते कि जहां किसी कंपनी का कोई भी सदस्य केवल	7.19	**धारा 101 (1) के प्रावधान में यह भी कहा गया है कि वोट के हकदार सदस्यों के 95 प्रतिशत की सहमति से एक छोटी सूचना भी दी जा सकती है। आम तौर पर 21 स्पष्ट दिनों की सूचना देकर बैठकां को बुलाया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें छोटी**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कुछ प्रस्तावों या प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार है, तो किसी बैठक में स्थानांतरित किया जाए, न कि अन्य लोगों पर, उन सदस्यों को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा पूर्व संकल्प य संकल्प और उत्तरार्द्ध के संबंध में नहीं।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		
	28. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक, डाला किया जाएगा अर्थात् :– "बशर्ते कि क्लॉज (ए) के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से व्यवसाय की किसी भी वस्तु को पारगमन करने की आवश्यकता हो, को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित किया जा सकता है, जिसे धारा 108 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, उस खड में उपलब्ध तरीके से।" **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी 2018**	7.34	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।
	29. धारा 117 प्रधान अधिनियम उपधारा (1) अनुसार शब्द "धारा 403 में निर्धारित समय के भीतर, छोड़ा जाएगा। Date 7th May 2018	7.45	अध्ययन सामग्री में धारा 403 का वर्णन नही किया गया है।
	29. धारा 117 प्रधान अधिनियम 84 धारा (2) (a) शब्द "धारा 403 के अर्न्तगत अतिरिक्त शुल्क के स्थान पर "उसमें शब्द प्रतिस्थपित किया जाएगा (b) शब्द "पांच लाख से कम नहीं, के स्थान पर "एक लाख से कम नहीं" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (c) शब्द "एक लाख" के स्थान पर "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाएगा। Em Date 7th May 2018	7.46	धारा 117 (2) अनुसार समय जो धारा 403 अनुसार निर्धारित और जुर्माना 5 लाख से कम नही इसे 25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक अधिकारी का जुर्माना 1 लाख से कम नहीं जिसे 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता हैं
	29, धारा 117 प्रधान अधिनियम उपधारा (3) (a) खण्ड (2) हटाया जाएगा।	7.45	प्रस्ताव धारा (1) (c) के अधिकार

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b) खण्ड (G) नियम में शब्द "और" को हटाया जाएगा और निम्न नियमों को सम्मिलित किया जाएगा। "इस खंड के निहित कुछ भी ऋण देने के लिए पारित प्रस्ताव के संबंध में बैंकिंग कंपनी को लागु नहीं करेगा यह धारा 179(3) के तहत ऋण के संबंध में गारंटी या सुरक्षा प्रदान करेगा। En Date 7th May 2018		अन्तर्गत पारित किया गया।
	30 धारा 121 प्रधान अधिनियम (i) उपधारा (2) शब्द "धारा 403 के अर्न्तगत अतिरिक्त शुल्क, के स्थान पर "उसमें, शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा" En Date 7th May 2018	(7.52)	यह शब्द प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि अध्ययन सामग्री में धारा 403 का वर्णन नहीं है।
	31. धारा 123 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ए) उपधारा (1) में – (i) खंड (ए) में – (ए) "दोनों; या "शब्दों के लिए, शब्द "दोनोंः" प्रतिस्थापित किया जाएगा; (बी) निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात् :– "मुनाफे की गणना करने में किसी भी राशि को अवास्तविक लाभ, धारणात्मक लाभ या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने और संपत्ति की माप या उचित मूल्य पर उत्तरदायित्व पर देयता की देयता में कोई परिवर्तन या निष्पक्ष मूल्य पर देयता को बाहर रखा जाएगा, या "; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	8.4	(i) बिंदु के लिए (ए) (सी) दोनों में से (क) और (ख); या बिंदु के लिए (बी) :– प्रतिबन्ध नया डाला गया है।
	31. धारा 123 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) दूसरे प्रावधान में, "कंपनी द्वारा रिजर्व में स्थानांतरित" शब्दों के लिए, "मुक्त संचय में कंपनी द्वारा स्थानांतरित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	8.4	(ii) के लिए जहां एक कंपनी ... . । यह पिछले वर्षों में और निर्धारित नियमों के साथ संचय लाभांश की ऐसी घोषणा करने के लिए कंपनी द्वारा स्थानांतरित .....

© The Institute of Chartered Accountants of India

			। (धारा 123 (1) के लिए दूसरा प्रावधान।
	31. धारा 123 में प्रिंसिपल अधिनियम – (बी) उपधारा (3) के लिए, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(3) किसी कंपनी के निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश घोषित कर सकते हैं या किसी भी समय वित्तीय बंद होने की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते या बाहर में अधिशेष से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने तक वित्तीय वर्ष के मुनाफे के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले की तिमाही तक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न लाभों की घोषणा या उससे बाहर होने की मांग की जा रही है : बशर्ते कि कंपनी ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले तिमाही के अंत तक चालू वित्त वर्ष के दौरान हानि की है, ऐसे अंतरिम लाभांश को कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से अधिक की दर से घोषित नहीं किया जो जाएगा तुरंत तीन वित्तीय वर्षों से पहले होगा"। **प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018**	8.6	धारा 123 (3) के अनुसार, **किसी कंपनी के निदेशक मंडल लाभ और हानि खाते में अधिशेष से बाहर वित्तीय वर्ष के मुनाफे से बाहर किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश घोषित कर सकते हैं जिसमें अंतरिम लाभांश होने की मांग की जाती है की घोषणा की। हालांकि, कंपनी द्वारा वितिय वर्ष में हानि होने की स्थिति में यदि कंपनी आंशिक लाभांश घोषित करती है तो आंशिक लाभांश की दर औसत लाभ पर पिछले 3 वर्ष पर घोषित लाभांश दर से अधिक नही होगी।**
	32. धारा 129 प्रधान अधिनियम उपधारा (3) निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की गयी (3) जहा¡ एक कंपनी के एक या एक से अधिक सहायक या सुत्रधारी कंपनी है उपधारा (2) अर्न्तगत	9.8, 9.9	**1. जहा¡ कंपनी के या अधिक सहायक, सुत्रधारी कंपनी है नियम**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कंपनी या सहायक सुत्रधारी कंपनी के संयुक्त वितिय विवरण बनाएगी। जो समान रूप व तरीके से बनाएगी, तथा लेखामानक के अनुसार जो कि कंपनी की वार्षिक की वार्षिक साधारण सभा के पहले रखा जाएगें तथा वितिय विवरण उपधारा (2) अनुसार। कंपनी अपनी वितिय विवरण के साथ में एक अलग विवरण लगा सकती है। जो सहायक सुत्रधारी कंपनी के वितिय विवरण की मौन विशेषता है। केन्द्र सरकार भी कंपनी के लिए संयुक्त खातो के सम्मेलन के लिए तरीके प्रदान कर सकती है। जो निर्धारित किए जा सकते है। **Enforcement Date: 7th May, 2018**		**6 कंपनी अधिनियम 2014 विवरण** **इस उपधारा के लिए उद्देश्य के लिए शब्द "सहायक" में सुत्रधारी तथा संयुक्त साहस को भी जोडा जाएगा।**
	33. **खंड 130** में प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, proviso में, – (ए) "नियामक निकाय या संबंधित अधिकारियों" शब्दों के बाद, "संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति" शब्द डाले जाएंगे; (बी) "शरीर या प्राधिकारी संबंधित" शब्दों के बाद, शब्द "या संबंधित अन्य व्यक्ति" डाला जाएगा; **प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018**	9.13	(i) के लिए (शब्द नए डाले गए हैं)
	33. में खंड 130 प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा डाला जाएगा, अर्थात् :– "(3) मौजूदा वित्तीय वर्ष से पहले आठ वित्तीय वर्षों से पहले की अवधि से संबंधित खाते की किताबों को फिर से खोलने के संबंध में उपधारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगाः बशर्ते कि एक दिशा जारी की गई हो। आठ साल से अधिक अवधि के लिए खाते की किताबों को रखने के लिए धारा 128 के उपधारा (5) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा, इस तरह की लंबी अवधि के भीतर खाते की किताबों को फिर से खोला जाने का आदेश दिया जा सकता है।" **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी, 2018**	9.13	(ii) के लिए (यह सब – सेक्शन नया डाला गया है)
	34. धारा 134 प्रधान अधिनियम उपधारा (1) निम्न	(9.16)	वितिय विवरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

	उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा : (1) वितिय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा इससे पहले कि वे (जारी) मंडल की ओर से अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाए। जिसकी नियुक्ति मंडल या दो निर्देशकों द्वारा की जाएगी। जिसमे में से एक निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या एक व्यक्ति कंपनी के मामले में एक निर्देशक हो सकता है। विवरण अंकेक्षक को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त होंगे। **Enforcement Date 8th July 2018अ**		जिसमें सम्मेलित वि. विवरण शामिल अंकेक्षक को प्रस्तुत उसकी विवरण के लिए।
	34. धारा 134 प्रधान अधिनियम उपधारा (3) (1) खंड (A) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (a) वेब पता यदि कोई हैं जहां वार्षिक विवरण उपधारा (3) में उल्लेखित है। जिसे धारा 92 में रखा गया है। (ii) खंड (p) शब्द "वार्षिक मूल्यांकन अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निर्देशकों द्वारा किया गया है" के स्थान पर शब्द "मंडल के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन, इसकी समितियों के अलग–अलग निर्देशक बनाए गए है। को प्रतिस्थापित किया गया है। (iii) खंड (a) के बाद निम्नलिखित नियम को सम्मिलित किया जाएगा। "इस उपधारा में उल्लेखित खुलासे को वितिय विवरणों में शामिल किया गया है ऐसे खुलासे को बोर्ड की विवरण में दोहराने के बजाय सम्मिति किया जाएगा। जहा निति को खंड (e) या खंड (o) में सदंर्भित किया जाता है कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है यदि कोई है तो यह निति की मुख्य विशेाताएं ओर किसी भी बदलाव के तहत खंड की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा। मंडल के विवरण में संक्षिप्त निर्दिष्ट किया गया है। वेब पता उसमें दर्शाया जाता है जिस पर पूरी निति उपलब्ध है। En Date 8th July 2018अ	9.17	(i) वार्षिक विवरण के लिए (ii) कंपनी के वितिय विवरण पर मंडल समिति का वार्षिक मूल्यांकन (iii) नियम को सम्मिलित किया गया है।
	34. धारा 134 प्रधान अधिनियम (c) उपधारा (3) के बाद निम्नलिखित उपधारा को शामिल किया गया हैं		- (The sub-

© The Institute of Chartered Accountants of India

	"केन्द्र सरकार ने एक व्यक्ति कंपनी या छोटी कंपनी द्वारा इस खंड के अनुपालन के लिए एक संक्षिप्त मंडल रिपोर्ट लिखी है। Enf. Date 8th July 2018		section is newly inserted)
	35. धारा 135 प्रधान अधिनियम उपधारा (1) (a) शब्द "कोई भी वितिय विवरण के स्थान पर शब्द "तुरंत वितिय वर्ष से पहले" प्रतिस्थापित किया जाएगा।" (b) धारा 149 उपधारा (4) के अनुसार जहां कंपनी को स्वतंत्र निर्देशक की नियुक्ति आवश्यकता नही है। इसकी निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी समिति में दो या अधिक निर्देशक है। En Date 19th Sep 2018	9.23	for (a) कोई भी वितिय वर्ष निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी समिति के निर्देशक के लिए जारी है।
	35. धारा 135 प्रधान अधिनियम (ii) उपधारा (3) खंड (a) शब्द "अनुसूची VII में निर्दिष्ट के स्थान पर शब्द "अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में" प्रतिस्थापित किया गया है। En DAte 19th Sep 2018	9.24	तैयार करना ओर अनुशंसा करना जो इंगित करता है कि कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधिया¡ अनुसूची में निर्दिष्ट है।
	35. धारा 135 प्रधान अधिनियम (iii) उपधारा (5) व्याख्या के लिए निम्नलिखित व्याख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा। व्याख्या इस खंड के प्रयोजन के लिए शुद्ध लाभ को शामिल नहीं किया जाएगा जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है और वह धारा 198 के प्रावधान के अनुसार गणना की जाएगी। En DAte 19th Sep 2018	9.26	यहां औसत बिक्री संपति की गणना अनुभाग के प्रावधान के अनुसार नही की जाती है।
	36. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, – (ए) शब्द और आंकड़े "धारा 101 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना," छोड़ा जाएगा; **प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018A**	9.30	संशोधन के अनुसार धारा 101 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना शब्द, "छोड़ा जाएगा
	36. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल	9.31	प्रतिबन्ध नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, – (बी) पहले प्रावधान में, "प्रदान किए गए" शब्दों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– "बशर्ते कि यदि दस्तावेजों की प्रतियां बैठक की तारीख से बीस दिन पहले भेजी जाती हैं, तो वे उस तथ्य के बावजूद, विधिवत भेजे जाने के लिए समझा जाएगा, यदि यह सदस्यों द्वारा इतनी सहमत है – (ए) होल्डिंग, अगर कंपनी की शेयर पूंजी है, तो मतदान के हकदार संख्या में बहुमत और जो पचास प्रतिशत से कम नहीं दर्शाते हैं। कंपनी की पेड – अप शेयर पूंजी के इस हिस्से के रूप में बैठक में मतदान का अधिकार देता है; या (बी) होने पर, अगर कंपनी की कोई शेयर पूंजी नहीं है, तो नब्बे प्रतिशत से कम नहीं। बैठक में अभ्यास करने वाली कुल मतदान शक्ति काः आगे प्रदान किया गया"; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		
	36. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में – (सी) दूसरे प्रावधान में, "आगे प्रदान किए गए" शब्दों के लिए, शब्द "प्रदान किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	9.31	बिंदु से संबंधित (ii) पृष्ठ 9.31 पर
	36. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम – (i) उपधारा (1) में, – (डी) चौथे प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि सहायक या सहायक होने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में अलग–अलग लेखापरीक्षित लेखा	9.31	(iii) सहायक कंपनियां : सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों वाली प्रत्येक कंपनी, – (1) अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रत्येक सहायक

© The Institute of Chartered Accountants of India

	रखे, यदि कोई हो तो : बशर्ते कि एक सूचीबद्ध कंपनी जिसमें भारत के बाहर एक सहायक शामिल है (यहा¡ लाल "को" सहायक "के रूप में संदर्भित किया गया है)– (ए) जहा¡ ऐसी विदेशी सहायक कंपनी को अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, तो इस प्रावधान की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा यदि सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट पर ऐसी विदेशी सहायक कंपनी का समेकित वित्तीय विवरण रखा गया है; (बी) जहां ऐसी विदेशी सहायक कंपनी को अपने वित्तीय विवरण को उसके निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत लेखापरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है और जिसे वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं किया जाता है, भारतीय सूचीबद्ध कंपनी होल्डिंग अपनी वेबसाइट पर इस तरह के गैर अंकेक्षित वित्तीय विवरण रख सकती है और जहां इस तरह का वित्तीय विवरण अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, अंग्रेजी में वित्तीय विवरण की एक अनुवादित प्रति भी वेबसाइट पर रखी जाएगी। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		कंपनी के संबंध में अलग–अलग लेखापरीक्षा दर्ज करें, यदि कोई हो; (2) कंपनी की किसी भी शेयरधारक को इसके लिए पूछे जाने वाले किसी भी सहायक कंपनी के संबंध में अलग–अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति प्रदान करें।
	36. प्रिंसिपल अधिनियम 136 की धारा में :– (ii) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्ध डाला जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों वाली प्रत्येक कंपनी अलग–अलग लेखापरीक्षित या अवांछित वित्तीय वक्तव्यों की एक प्रति प्रदान करेगी, जैसा भी मामला हो, कंपनी के किसी भी सदस्य को इसकी सहायक कंपनी के संबंध में तैयार किया गया है।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	9.32	(Proviso नया डाला गया है) (iv) बिंदु में प्रतिबन्ध जोड़ें
	37. धारा 137 प्रधान अधिनियम (i) उपधारा (1) में (a) शब्द और आंकड़े "धारा 403 में निर्धारित समय के भीतर" को छोडा जाएगा (b) शब्द और आंकडे जो वितीय नियम में है "धारा 403	9.34	(a) के लिए, वितिय विवरण की प्रति, शुल्क के साथ धारा 403 में निर्धारीत समय के

© The Institute of Chartered Accountants of India

	में निर्धारित समय के भीतर" को छोड़ा जाएगा। (c) IV प्रावधान के बाद, निम्न नियम को शामिल किया जाएगा। "भारत के बाहर निर्मित कंपनी के मामले में (इसमे विदेशी सहायक कहा गया है। जिसे अपने वितिय विवरण को अंकेक्षण करने की आवश्यकता अपने देश के किसी भी कानून के तहत नहीं है। वितिय विवरण अंकेक्षित नहीं मिलते तो (iv) प्रावधान की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। अगर सुत्रधारी कंपनी इस तरह के 31 अंकेक्षित वितिय विवरण को इस पर प्रभाव की घोषणा के साथ–साथ जमा कराती है वितिय विवरण अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में है तो साथ में एक अनुवादित प्रति लगाना। En Date. 7th May 2018		भीतर जमा कराए (b) के लिए यदि वितिय विवरण को अपनाया जाता तो इस प्रकार की अतिरिक्त शुल्क निर्धारित की जा सकती है जो कि धारा 403 के तहत निर्धारित की गयी है।
	37. धारा 137 प्रधान अधिनियम (ii) उपधारा (2) शब्द "धारा 403 में निर्धारित समय के भीतर" छोडा जाएगा।	9.35	(v) वार्षिक साधारण सभा आयोजन नहीं। धारा 137 (2) अतिरिक्त शुल्क जो निर्धारित किया गया है। धारा 403 में निर्धारित किया गया है। धारा 403 म ंनिर्धारित समय के भीतर
	37. धारा 137 प्रधान अधिनियम (iii) उपधारा (3) शब्द "धारा 403 में" के स्थान पर शब्द "उसमें" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	9.35	यह शब्द प्रतिस्थापित किया गया है (क्योंकि अध्ययन सामग्री में धारा 403 का वर्णन नही किया गयाः
	38. धारा 139 प्रधान अधिनियम उपधारा (1) प्रथम नियम / प्रावधानों को छोड़ा जाएगा **Enforcement Date: 7th May, 2018**	10.5	कंपनी इस तरह की नियुक्ति से संबंधित मामलो को प्रत्येक AGM में सदस्य द्वारा सुधार के लिए रखेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	39.. में अनुभाग 140 प्रिंसिपल अधिनियम, उप–धारा में (3), शब्द "पचास हजार रूपए" शब्दों के लिए "पचास हजार रूपए या लेखा परीक्षक, जो भी कम हो के पारिश्रमिक," प्रतिस्थापित किया जाएगा। **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी, 2018**	10.15	(घ) अगर लेखा परीक्षक ..... नहीं करता है। ठीक है जो 50,000 से कम नहीं होगा लेकिन जो 5 लाख तक बढ़ा सकता है। A
	40.. में अनुभाग 141 प्रिंसिपल अधिनियम, उप–धारा में (3), खंड (i) के लिए, निम्नलिखित श्रेणी ई, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : (i) एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी 144 या कंपनी की होल्डिंग कंपनी या इसकी सहायक कंपनी को धारा 144 में निर्दिष्ट किसी भी सेवा को प्रस्तुत करता है। स्पष्टीकरण 1 – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द का अर्थ धारा 144 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.22	(9) कोई भी व्यक्ति जिसका सहायक या सहयोगी कंपनी या इकाई का कोई अन्य रूप, धारा 144 में प्रदान की गई परामर्श और विशेष सेवाओं में नियुक्ति की तारीख के रूप में कार्यरत है
	41. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 143 में :– (i) उपधारा (1) में, प्रावधान में, दोनों जगहों पर "इसकी सहायक" शब्दों के लिए, "इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.23	(सी) अपनी सभी सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड तक पहुंच : ..... का लेखा परीक्षक। इसकी सभी सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड इतने तक में हैं जहां वह अपनी सहायक कंपनियों के साथ अपने वित्तीय विवरणों के एकीकरण से संबंधित है।
	41. अधिनियम, 143 की धारा में (ii) उपधारा (3) में,	10.24	(9) क्या कंपनी के

© The Institute of Chartered Accountants of India

	खंड (i) में, "आंतरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली" शब्दों के लिए, शब्द "वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी, 2018**		पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता है;
	41. प्रिंसिपल अधिनियम, 143 के अनुभाग में (iii) उपधारा (14) में, खंड (ए) में, "अभ्यास में लागत एकाउंटेंट" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018 A	10.36	खंड 143 के प्रावधानों यथोचित लागत लेखाकार पर लागू होंगे जैसे लागत लेखा अंकेक्षण संचालित कर रहा है। धारा 148 के तहत
	42.. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (i) उपधारा (2) में, – (ए) "पांच लाख रूपए" शब्दों के बाद, शब्द "या चार बार लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, जो भी कम है" डाला जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018 c	10.33	शब्दों को iii बिंदु में डाला जाएगा।
	42. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (i) उपधारा (2) में, – (बी) प्रावधानों में, शब्दों के लिए "और जुर्माना जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस लाख रूपए तक हो सकता है", शब्द "और जुर्माना जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा लेकिन जो ऑडिटर के पारिश्रमिक के पच्चीस लाख रूपये या आठ गुना तक बढ़ा सकता है, जो भी कम हो, "प्रतिस्थापित किया जाएगा; **प्रवर्तन दिनांक :** **9 फरवरी, 2018**	10.33	और (2) वर्ड जो 1 लाख रूपये से कम नहीं होगी लेकिन जो 25 लाख रूपये तक बढ़ा सकता है।
	42. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (ii) उपधारा (3) में, खंड (ii) में, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्दों के लिए, शब्द "या सदस्यों या सदस्यों के लेनदारों" के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक :	10.33	(2) कंपनी, सांविधिक निकायों या अधिकारियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान

© The Institute of Chartered Accountants of India

	9 फरवरी, 2018		से होने वाली हानि के लिए भुगतान के लिए भुगतान .....। परीक्षण विवरण।
	42. में अनुभाग प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 147 में :– (iii) उपधारा (5) में, निम्नलिखित प्रतिबन्ध डाला जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि ऑडिट फर्म की आपराधिक दायित्व के मामले में, जुर्माना के अलावा उत्तरदायित्व के संबंध में, संबंधित साथी या सहयोगी, जो धोखेबाज तरीके से काम करते हैं या उत्पीड़ित होते हैं या, जैसा कि मामला हो, किसी भी धोखाधड़ी में उलझन में ही हेागा उत्तरदायी।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.33	(प्रतिबन्ध नया डाला गया है)
	43.. प्रिंसिपल अधिनियम, की धारा 148 में :– (i) उपधारा (3) में, – (ए) "अभ्यास में लागत लेखाकार" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.34	(iv) लागत लेखा परीक्षा एक द्वारा आयोजित किया जाएगा अभ्यासरत लागत लेखाकार जो – होगा ..... . ऐसे में सदस्यों द्वारा के रूप में निर्धारित किया जा सकता जैसा बताया गया है।
	43. अधिनियम , की धारा 148 में – (i) उपधारा (3) में, – (बी) स्पष्टीकरण में, "लागत और कार्य लेखाकार संस्थान" शब्द के लिए, "भारत के लागत लेखाकार संस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.35	यहा¡ "लागत अंकेक्षण मानकों" की अभिव्यक्ति का अर्थ केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत गठित भारत के लागत और कार्य लेखाकार संस्थान

© The Institute of Chartered Accountants of India

			द्वारा जारी किए गए मानकों का है।
	43. प्रिंसिपल अधिनियम, 148 के अनुभाग में, (ii) उपधारा (5) में, प्रावधान में, "अभ्यास में लागत एकाउंटेंट" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018 A	10.35	(x) लागत रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा की रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) को अभ्यास में लागत एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
	44 मुख्य अधिनियम की धारा 447 में :– (अ) "कपट के दोषी" व शब्दों के बाद कम से कम 10 लाख रू. की राशि को शामिल या कम्पनी के टर्नओवर (आवर्त) के 1% जो भी कम हो" को प्रविष्ट किया जाएगा। प्रवर्तन तिथि : 9 फरवरी, 2018	3.25	शब्दों को नया जोडा गया है।
	44 44. मुख्य अधिनियम की धारा 447 में :– (ब) प्रोवीसो के बाद निम्न प्रोवीसो को शामिल किया जाएगा :– यथा :– बशर्ते आगे प्रदान किया जाता है कि, जहा¡ कपट में 10 लाख रू. की राशि या कम्पनी के आवर्त का 1% जो भी कम हो शामिल हो और जहा जन हित शामिल ना हो, इस प्रकार तक के कपट से दोषी व्यक्ति को 5 साल की अवधि की जेल का दण्ड या अर्थदण्ड जो 20 लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों की सजा मिल सकती है। प्रवर्तन तिथि : 9 फरवरी, 2018	3.26	पहले के कानून में यह प्रीवीसी नहीं था यह प्रोविसो नया शामिल किया गया है।
11.	**से संबंधित संशोधन** अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) में संशोधन 5 जून, 2015 दिनांक अधिसूचना सं। अतः 802 (ई) दिनांक 23 फरवरी, 2018 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ए) और (बी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार, सार्वजनिक सूचनाओं के अधिसूचना में कॉरपोरेट अफेयर्स नंबर जीएसआर 463 (ई) के मंत्रालय में भारत सरकार 5 जून, 2015 दिनांकित :–	9.7	फुटनोट बदलें रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को लेखा मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के आवेदन की सीमा तक सरकारी कंपनियों पर धारा 129 लागू नहीं होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कहा गया अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित धारावाहिक संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "अध्याय IX में, धारा 129 सेगमेंट रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों पर लागू नहीं होगा"।		
12.	**से संबंधित संशोधन** उप–धारा (3) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा देखे 132 (11) का प्रवर्तन अधिसूचना सं एस.ओ. 1316 (ई) दिनांक 21 मार्च, 2018 केंद्र सरकार 21 मार्च 2018 को कहे अधिनियम की धारा (3) व (11) ; जो कि धारा 132 को लागू वर्गों (3) को लागू करती है। "132 (3) : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग आथॉरिटी में एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में विशेषज्ञता होगी और ऐसे अन्य सदस्य जो पंद्रह से अधिक नहीं होंगे अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तें और निर्धारित की जा सकें: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्य अपनी सरकार की नियुक्ति के संबंध में ब्याज के संघर्ष या स्वतंत्रता की कमी के संबंध में निर्धारित फॉर्म में केंद्र सरकार को घोषणा करेंगे: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ पूर्णकालिक रोजगार में हैं, उनकी नियुक्ति के दौरान किसी भी लेखा परीक्षा फर्म (संबंधित परामर्श फर्म सहित) से संबद्ध नहीं होंगे और ऐसी नियुक्ति को रोकने के दो साल बाद तक लागू है। **132 (11)** : केंद्र सरकार एक सचिव और इस तरह के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता के रूप में यह कुशल इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं और नियमों और सचिव की सेवा की शर्तों और कर्मचारियों होगा जैसे कि निर्धारित किया	9.14	(कहा¡ उपखंडों को अधिसूचित किया गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जा सकता है।"		
13.	**से संबंधित संशोधन** अधिसूचना GSR 433 (e) दिनांक 7th May 2018 केन्द्र सरकार ने कंपनी नियम 2014 में संसोधन (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) किया जो कि कंपनी संसोधन नियम 2018 किया। जो 7th MAY 2018 से लागु होगा – कंपनी नियम (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) 2014 की नियम (2) उपखंड (1) खंड (R) को छोड़ा जाएगा।	1.4 & 1.21	कंपनी नियम अनुसार 2014 कुल अंश पूंजी (b) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
14.	**से संबंधित संशोधन** अधिसूचना GSR 434 (E) दिनांक 7th May 2018 केन्द्र सरकार ने द्वितीय कंपनी संसोधन नियम 2018 (अंश पूंजी व ऋणपत्र) द्वारा कंपनी नियम 2014 (अंश पुंजी व ऋणपत्र) में संशोधन किया। जो 7th May 2018 से लागु होगा। कंपनी नियम 2014 (अंश पूंजी व ऋणपत्र) में नियम (8) में उपनियम (1) की व्याख्या में खंड (1) में उपखंड (a) में शब्द "कम से कम पिछले एक वर्ष में" को छोड़ा जाएगा।	4.12	कर्मचारी से तात्पर्य (a) एक कंपनी का स्थायी कर्मचारी जो भारत में या बाहर कार्य कर रहा है। कम से कम एक वर्ष
15.	**से संबंधित संशोधन** संबंधित संशोधन : अधिसूचना G.S.R. 560(E) दिनांक 13 जून, 2018 कम्पनी मामलात् मंत्रालय; G.S.R.560 (E) दिनांक 13 जून 2018 के जरिए ; कम्पनी (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम 2014 को कम्पनी (प्रबन्धन व प्रशासन) द्वितीय अधिसूचना नियम 2018 के जरिए, संशोधित किया। उसी अनुरूप, कम्पनी (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम, 2014 में :– 1. नियम 13 को खत्म कर दिया गया। 2. फॉर्म नं. MGT – 10 को समाप्त कर दिया। 3. नियम 15 में उपनियम (6) को समाप्त कर दिया। 4. नियम 18 में, उपनियम (3), खण्ड (IX) को स्पष्टीकरण के बाद समाप्त कर दिया गया। 5. नियम 22 में, उपनियम (16) में प्रोविसो के लिए निम्न को स्थानापन्न किया गया यथा :–	1.7. 7.3 2.– 7.15 4.–7.30 5.– 7.37	1. नियम 13; प्रवर्तकों की अंशधारिता की स्थिति में परिवर्तन की विवरणी तथा उच्च 10 अंशधारकों के साथ डील करता है। 2. MGT -10 3- प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव को ROC के साथ पृष्ठभूमि की एक नकल (कापी) फार्म MGT 14 में सामान्य सभा की

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बशर्ते कि व्यवसाय की उपरोक्त मदे इस उपनियम के अन्तर्गत, पोस्टल बैलेट के जरिए सम्पादित की जाने की आवश्यकता है। कम्पनी के द्वारा सामान्य सभा में सम्पादित की जाती है जो कम्पनी के सदस्यो को इलेक्टेनो के माध्यम के जरिए मत देने की सुविधा धारा 108 के तहत प्रदान करता है। उस तरीके से जैसा धारा में बताया गया है। आगे प्रदान करता है कि एकल व्यक्ति कम्पनी व ऐसी कम्पनी जिसमें 200 तक सदस्य हो को पोस्टल बैलेट के जरिए व्यवसाय का कोई सौदा (व्यवहार) करने की आवश्यकता नहीं है।		तिथि से कम से कम 1 दिन पहले जमा करानी होगी। 4- चित्र में शब्दों को नियम 18(3) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण को घर ध्यान ना देना तथा 5. बशर्ते की एकल व्यक्ति कम्पनी व अन्य कम्पनी जिसमें 200 तक सदस्य है को पोस्टल बैलेट के जरिए व्यवसाय का कोई सौदा नहीं करना।
16	**से संबंधित संशोधन** अधिसुचना GSR 612 (E) दिनांक 5th July 2018 केन्द्र सरकार ने कंपनी संशोधन नियम 2018 (जमा की स्वीकृति) द्वारा कंपनी नियम 2014 (जमा स्वीकृति) में संशोधन किया। यह दिनांक 15 Aug 2018 से लागू होगा।	5.11	जमा बीमा का विवरण जिसमें जमा बीमा की सीमा शामिल है।
17.	**से संबंधित संशोधन** अधिसुचना GSR 708 (e) दिनांक 27th July 2018 केन्द्र सरकार ने तीसरे कंपनी संशोधन नियम 2018 (पंजीकरण) द्वारा कंपनी नियम 2014 (पंजीकरण) में संशोधन किया यह दिनांक 27th July 2018 से लागू होगा। कंपनी नियम 2014 (पंजीकरण) में नियम (3) में उपधारा (1) में व्याख्या के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा। व्याख्या 1 – इस नियम के उद्देश्य के लिए, शब्द "भारत में निवासी से तात्पर्य वह व्यक्ति जो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। पिछले वितिय वर्ष में।	2.4	वह व्यक्ति जो केलेंडर वर्ष के तुरंत पहले के दौरान दिनों से कम नही समय तक भारत में रहा हें

© The Institute of Chartered Accountants of India

	व्याख्या ii इस नियम के उद्देश्य के लिए वितिय वर्ष 2018–19 के लिए भारत में निदेशक को रहने के दिनों की संख्या की गिनती करते हुए, इस नियमों की अधिसूचना की तारीक तक 1.1.18 के बीच रहने की कोई भी अवधि को गिना जाएगा।		
18	**से संबंधित संशोधन** कंपनी संशोधन नियम 2018, अधिसुचना GSR 432 (E) 7 MAY, 2018 केन्द्र सरकार ने द्वितीय कंपनी संशोधन नियम 2018 (अंकेक्षक व अंकेक्षण) के द्वारा कंपनी नियम 2014 में संशोधन किया। 1. कंपनी नियम 2014 (अंकेक्षण व अंकेक्षण) के नियम 3 जो अंकेक्षण की नियुक्ति के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंध रखता है। केन्द्र सरकार ने द्वितीय कंपनी संशोधन नियम (अंकेक्षक व अंकेक्षण) 2018 के द्वारा कंपनी नियम (अंकेक्षक व अंकेक्षण) 2014 में संशोधन किया। 2. प्रधान नियम का नियम 10A जो आंतरिक वितिय नियन्त्रण प्रणाली से संबधित है। शब्द "पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली" के स्थान पर शब्द "वितिय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वितिय नियन्त्रण" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	10.5	कंपनी (अंकेक्षक तथा अंकेक्षण) नियम 2014 अनुसार एक साधारण प्रस्ताव पारीत करने के तरीके। यदि नियुक्ति इस अधिनियम के तहत इस प्रक्रिया में निर्धारित नहीं है। कंपनी द्वारा सम्मिलित नियम (अंकेक्षण व अंकेक्षक) 10 अनुसार – पर्याप्त आंतरिक वितिय नियंत्रण प्रणाली और इसके संचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में है।
	केन्द्र सरकार ने द्वितीय कंपनी संसोधन नियम (अंकेक्षक व अंकेक्षण) 2018 के द्वारा कंपनी नियम (अंकेक्षण व अंकेक्षण) 2014 में संसोधन किया। 3. प्रधान नियम, नियम 14 जो लागत लेखाकार के पारिश्रमिक से संबंधित है। निम्न है (A) खंड (A) के उपखंड (1) में शब्द "जो व्यवहार में एक लागत लेखाकार है" की जगह शब्द "कौन एक लागत लेखाकार है" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (b) खंड (b) में शब्द "कौन व्यवहार में एक लागत	10.34	1. मंडल एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो व्यवहार में एक लागत लेखाकार या एक फर्म है। 2. अन्य कंपनी की स्थिति में जिन्हें एक व्यक्ति (जो व्यवहार लागत

© The Institute of Chartered Accountants of India

	लेखाकार है" की जगह शब्द "कौन एक लागत लेखाकार है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।		लेखाकार या कभी) को नियुक्त करने की आवश्यकता नही है।
19.	**से संबंधित संशोधन** कंपनी संसोधन नियम 2018 (लेखां) अधिसूचना GSR 725 (e) dated 31st July, 2018 केन्द्र सरकार ने कंपनी संसोधन नियम 2018 (लेखाशास्त्र) के द्वारा कम्पनी नियम 2014 में संसोधन किया। 1. कंपनी नियम (लेखांकन) 2014 उपधारा (5) नियम (8) जो मंडल विवरण में शामिल किए जाने मामलो से संबंधित है। खंड (viii) के बाद निम्नलिखित खंडो को सम्मिलित किया जाएगा। (ix) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड के रखरखाव के रूप में खुलासा आवश्यक है। कंपनी द्वारा इस तरह के ,खाते और रिकार्ड बनाए रखे जाते है। (x) कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2019 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।	9.20	- [Clause (ix) and (x) is newly inserted]
	2. कंपनी नियम (लेखांकन) 2014 – उपधारा (5) बाद उपधारा (i) तथा निम्न उपधारा को शामिल किया जाएगा – " (b) यह नियम एक व्यक्ति कंपनी तथा छोटी कंपनी पर लागु नहीं होगा।	9.20	- (Sub- rule 6 is newly inserted)
20.	**से संबंधित संशोधन** कंपनी संसोधन नियम 2018 (निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी निति GSR 865 (e) दिनांक 19 Sep 2018, केन्द्र सरकार ने कंपनी संसोधन नियम 2018 (निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी निति) के द्वारा कंपनी नियम 2014 में संसोधन किया। 1. कंपनी नियम (निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी निति	9.22	(i) अनुसूची VII से अधिनियम में गतिविधियों के क्षेत्र या विषयों से संबंधित परियोजना या कार्यक्रम (ii) ऐसी नीति के अधीन कार्यक्रम

© The Institute of Chartered Accountants of India

	2014 के नियम 2 जो परिभाषा से सम्बन्धित है। (a) उपनियमे (1) के खण्ड (c) के उपखंड (1) जो CSR परिभाषित करता है तथा बाद में शब्द "गतिविधियों से सम्बन्धित" शब्द "विषय" शामिल किया जाएगा। (b) उपनियम (1) के खण्ड (c) के उपखण्ड (ii) में शब्द, "शामिल किए गए विषयो" के स्थान पर शब्द "गतिविधिया क्षेत्रों या निर्दिष्ट विषयो को शामिल करते है को प्रतिस्थापित किया जाएगा।		जो इस तरह की निति अधिनियम की अनुसूची VI में शामिल विषयों को शामिल करते है।
	2. कंपनी नियम 2014 (निगमीत सामाजिक जिम्मेदारी निति) के नियम 5 जो CSR Committes से सम्बन्धित है। खंड (1) के उपनियम (1) में शब्द "असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी के स्थान पर "कंपनी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।	9.23	(b) एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी जिसे कंपनी जिसे स्वतंत्र नियूक्त करने की आवश्यकता नहीं है।
	3. कंपनी नियम 2014 (निगमीत सामाजिक जिम्मेदार निति) के नियम 6 जो CSR निति से सम्बन्धित है में निम्न बदलाव किए गए है। (a) उपनियम (1) खंड (a) शब्द "के दायरे में आने वाले" के स्थान पर शब्द "निर्दिष्ट क्षेत्रो या विषयो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (b) द्वितीय नियम (b) के उपनियम (1) में शब्द "अनुसूची VII में शामिल गतिविधिया, के स्थान पर शब्द "विषयों या क्षेत्र अनुसूची VI में शामिल को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	9.24	(a) CSR कार्यक्रमों की सुची जो कंपनी की अनुसूची VII के बिन्दु के दायरे में आने की योजना है। (b) निदेशक मंडल CSR निति अधिनियम की अनुसूची VII से संबंधित है।
21.	**से संबंधित संशोधन** राष्ट्रीय वितिय समाचार लेखन प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार ने 1 अक्टुम्बर 2018 (अधिसूचना S.O. 5099 (e) Date 10 Oct 2018) को राष्ट्रीय वितिय लेखान प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संविधान को भी	9.14	-

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिसूचित किया गया है। 132 (1) केन्द्र सरकार इस अधिनियम के तहत लेखांकन और लेखा परीक्षा मानको से संबंधित मामलों को प्रदान करने के लिए अधिसुचना द्वारा एक राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कर सकती है। (2) किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजुद, राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण – (a) केन्द्र सरकार को कंपनीयों को उनके लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा और मानको को अपनाने के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नितियों और मानक का निर्धारण करने की सिफारिश करना। (b) लेखांकन मानको और निगरानी तथा अंकेक्षित मानको को इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है। (c) ऐसे मानको का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुडे व्यवसायों की सेवा की गुणवता की देखरेख करना, तथा सेवा की गुणवता में सुधार के लिए आवश्यक उपाय तथा ऐसे अन्य मामलो पर सुझाव देना। जो निर्धारित किए जा सकते है। (3) राष्ट्रीय वितिय रिपोर्ट प्राधिकरण में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा लेखा परीक्षा, वित्त या कानुन में विशेषता का व्यक्ति होगा। ओर इस तरह के व्यक्ति 15 से अधिक नही होंगे। समय तथा पूर्णकालित सदस्य निर्धारीत किए जा सकते है। अध्यक्ष ओर सदस्यों की नियुक्ति की शर्ते इस तरह तरह निर्धारित किया जा सकती है। कि अध्यक्ष ओर सदस्य केन्द्र सरकार को निर्धारित रूप में घोषणा करेंगे। जो उनकी नियुक्ति के संबंध में हितों के टकराव या स्वतंत्रता की कमी के बारे में। अध्यक्ष ओर सदस्य, जो राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साथ पूर्णकालिक रोजगार में हैं उनकी नियुक्ति के दौरान ओर इस तरह की नियुक्ति के दौरान और इस तरह की नियुक्ति को रोकने के दो वर्ष बाद किसी भी अंकेक्षण फर्म से संबद्ध नहीं होंगे। (4) किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजुद, राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण –		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(a) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत किसी भी सदस्य या फर्म केन्द्र सरकार के पास जा¡च करने की शक्ति है केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए किए संदर्भ पर, व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए आदि जिन्हें निर्धारीत किया जा सकता है। अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही जारी नहीं करेगा जहा¡ राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के तहत जांच शुरू कर दी है। (b) नागरिक प्रक्रिया 1908 के तहत अधिकारो के संबंध में मुकदमा चलाने के दौरान नागरिक प्रक्रिया में निहित समान शक्तिया है। (i) खाता ओर अन्य दस्तावेजों की पुस्तको की खोज ओर उत्पादन ऐसे स्थान पर ओर ऐसे समय में जो राष्ट्रीय वितिय रिपोटिंग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। (ii) किसी व्यक्ति कि किसी भी किताब रजिस्टर ओर अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण ओर शपथ पर व्यक्तियों की उपस्थिती को बुलाना ओर जांचना। (iv) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। (c) जहा¡ पेशेवर या अन्य कदाचार साबित हुआ है निम्न आदेश देने की शक्ति है (A) जुर्माना (i) एक लाख से कम नहीं लेकिन प्राप्त शुल्क के पा¡च गुना बढ़ सकता है (ii) फर्म के मामले में पाँच लाख से कम नही लेकिन प्राप्त शुल्क के दस गुना तक बढ़ सकता है। (B) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (e) के अनुसार भारतीय चार्टर्ड इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदस्य के रूप में खुद को उलझाने सदस्य या फर्म को रोकना। अवधि का निर्धारण राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो न्यूनतम अवधि 6 माह अधिकतम 10 वर्ष।		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	व्याख्या : अपने उप – अनुभाग के प्रयोजनों के लिए "पेशेवर या अन्य कदाचार" अभिव्यक्ति का अर्थ चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत इसे सौंपा जाएगा। (5) उपधारा (4) के खंड (c) के तहत जारी राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के किसी भी आदेश से दुखी कोई भी व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समझ निर्धारीत शुल्क के भुगतान पर कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है। (10) राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे समय तथा बैठक करेगा ओर निर्धारित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो अपनी बैठको में व्यापार के तहत लेन–देन के संबंध में जो निर्धारित होंगे। (11) केन्द्र सरकार एक सचित ओर ऐसे अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कर सकती है क्योंकि इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक माना जा सकता है। संचित और कर्मचारियों की सेवा को निर्धारित किया जा सकता है। (12) राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय नई – दिल्ली मे होगा ओर राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे स्थानों पर भी मिल सकता है जहां उचित लगे। (13) राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को अपने खातों के संबंध में इस तरह के खाते ओर अन्य पुस्तकों की ऐसी पुस्तकों को बनाए रखने का कारण होगा ओर इस तरह से केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श कर सकती है। (14) राष्ट्रीय वितिय रिपोटिंग प्राधिकरण के खातों का भारत के नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक द्वारा अंतराल पर अंकेक्षित किया जाएगा। ओर ऐसे खातों को लेखा परीक्षा के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष विवरण दिया जाएगा। (15) राष्ट्रीय वितिय रिपोर्टिंग प्राधिकरण वितिय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देने के लिए इस तरह के रूप और प्रत्येक वितिय वर्ष के लिए ऐसे		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	समय में तैयार करेगा जैसे निर्धारित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा इसकी एक प्रति तथा अंकेक्षित विवरण संसद के प्रत्येक सदन के समझ रखी जाएगी। **Please note:** (i) Sub Section (3) and (11) have been notified on 21st March 2018. [Notification No. S.O. 1316(E)] (ii) Sub Section (6), (7), (8) and (9) have been omitted [with effect from 9th February, 2018] (iii) *Sub- section (1) and (12) notified on 1st October, 2018 [Notification S.O. 5098(E) dated 1st October, 2018] (iv) **Sub- Section (2),(4),(5),(10),(13),(14) and (15) have been notified on 24th October 2018 [Notification S.O. 5385(E) dated 24th O ctober, 2018]		
XXII	**से संबंधित संशोधन** :– कंपनियों (Amendment) सेकंड ऑर्डिनेंस, 2019 कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुभागों में संशोधन किया गया है, कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 दिनांक 21 फरवरी, 2019। माना जाएगा कि यह 2 नवंबर से लागु होगा। 2018 धारा 2 के खंड (41) में, (ए) पहले प्रोविसो के लिए, निम्नलिखित प्रोविजोस को प्रतिस्थापित किया जाएगा : "बशर्ते कि एक कंपनी या निकाय निगमित जो एक सूत्रधारी कंपनी या भारत के बाहर शामिल कंपनी की एक सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी है और भारत के बाहर अपने खातों के समेकन के लिए एक अलग वित्तीय वर्ष का पालन करना आवश्यक है, केंद्र सरकार पर, हो सकता है उस कंपनी या निकाय द्वारा इस तरह के रूप और तरीके से किए गए एक आवेदन को निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी अवधि को	1.9	बशर्ते कि किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किए गए एक आवेदन पर, जो एक सूत्रधारी कंपनी या भारत के बाहर निगमित कंपनी की एक सहायक कंपनी है और भारत के बाहर अपने खातों के समेकन के लिए एक अलग वित्तीय वर्ष का पालन करना आवश्यक है, ट्रिब्यूनल में यदि यह संतुष्ट है, तो

© The Institute of Chartered Accountants of India

	उसके वित्तीय वर्ष के रूप में अनुमति दें, चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नहीं; बशर्ते आगे कि ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित किसी भी आवेदन कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश, 2019, के प्रारंभ होने की तिथि पर के रूप में यह करने के लिए लागू होने वाले प्रावधानों इस तरह के प्रारंभ होने से पहले के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा का निपटारा किया जाएगा।" (बी) दूसरे प्रोविसो के लिए, "आगे प्रदान किए गए" शब्दों के लिए, "प्रदान किए गए शब्द" भी प्रतिस्थापित किए जाएंगे।		किसी भी अवधि को उसके वित्तीय वर्ष की अनुमति दें, चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नहीं:
	2. धारा 10 के बाद, निम्नलिखित अनुभाग अर्थात् डाला जाएगा : A. Commencement of business आदि। (1) कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के शुरू होने के बाद शामिल एक कंपनी और एक शेयर पूंजी होने से कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं करेगा या किसी भी उधार शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा – (ए) एक निदेशक द्वारा एक घोषणा दायर की जाती है कि कंपनी के निगमन की तारीख के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस तरह से और इस तरह से सत्यापित किया जाता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, रजिस्ट्रार के पास प्रत्येक ग्राहक ज्ञापन के लिए है इस तरह की घोषणा करने की तिथि पर उसके द्वारा लिए जाने वाले अंशों के मूल्य का भुगतान किया; तथा (बी) कंपनी ने रजिस्ट्रार के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय के सत्यापन के रूप में दायर किया है जैसा कि धारा 12 की उप–धारा (2) में प्रदान किया गया है। (2) यदि इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है, तो कंपनी पचास हजार रूपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगी और प्रत्येक अधिकारी जो चूक के लिए दायी है को प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी चूक जब क जारी है लेकिन एक लाख रूपये से अधिक नहीं है। (3) जहा¡ कंपनी के निगमन की तारीख के एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर उप–धारा (1) के खंड (क) के तहत रजिस्ट्रार के साथ कोई घोषणा दर्ज नहीं की गई है और रजिस्ट्रार को यह मानने का उचित	1.9	अनुभाग नया डाला गया है

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कारण है कि कंपनी किसी भी व्यवसाय या संचालन को नहीं कर रही है, वह उप–धारा (2) के प्रावधानों के पक्षपात के बिना, अध्याय XVIII के तहत कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकती है।"		
	3. खंड 12 में उप खंड (8) के बाद, निम्न उप खंड डाला जाएगा, अर्थात् : "(9) यदि रजिस्ट्रार के पास यह मानने का उचित कारण है कि कंपनी किसी भी व्यवसाय या संचालन को नहीं कर रही है, तो वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का भौतिक सत्यापन इस तरह से कर सकता है जैसे निर्धारित किया जा सकता है और यदि कोई चूक पाया जाात है उप–धारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, वह उप–धारा (8) के प्रावधानों के खिलाफ पूर्वागह से ग्रसित हो सकता है, कंपनी के नाम को अध्याय 16 के तहत कंपनियों के रजिस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।"	2.24	उप–अनुभाग नया डाला गया है।
	(4) धारा 14 में (i) उप–खंड (1) में, दूसरे प्रोविजो के लिए, निम्नलिखित प्रोविजोस को प्रतिस्थापित किया जाएगाः "आगे प्रदान किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक कंपनी के निजी कंपनी में रूपांतरण का प्रभाव होने तक किसी भी परिवर्तन को मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के एक आदेश द्वारा इस तरह के रूप और तरीके से बनाए गए आवेदन पर इसे मंजूरी नहीं दी जाती है : बशर्ते कि कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के शुरू होने की तारीख के रूप में टिब्यूनल के समक्ष लंबित किसी भी आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के शुरू होने से पहले लागू प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।"	2.31	हालाँकि, सार्वजनिक कंपनी के निजी कंपनी में रूपांतरित होने का कोई भी परिवर्तन, न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अलावा प्रभावी नहीं होगा जो इस तरह के आदेश देगा जैसी भी यह उपयुक्त हो सकता है।
	4. धारा 14 में (ii) उप–खंड (2) में, न्यायाधिकरण शब्द के लिए, "केंद्र सरकार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	2.31	लेखों के हर परिवर्तन और न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रति जो परिवर्तन को मंजूरी दे रही है, रजिस्ट्रार के

© The Institute of Chartered Accountants of India

			पास, साथ में, परिवर्तित लेखों की मुद्रित प्रतिलिपि के साथ, पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर इस तरह से निर्धारित की जाएगी, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, उसी को पंजीकृत करेगा।
	(5) धारा 53 में, उपधारा (3) के लिए, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(3) जहा¡ कोई भी कंपनी इस खंड के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जो चूक करती है से दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जो अंशों के मुद्दे के माध्यम से राशि के बराबर राशि का विस्तार कर सकता है। छूट या पांच लाख रूपये, जो भी कम हो, और कंपनी बारह प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ प्राप्त सभी धनराशि को वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। प्रति व्यक्ति को ऐसे अंश जारी करने की तारीख से लेकर जिनके पास इस तरह के अंश जारी किए गए हैं।"	4.10	जहा¡ कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, कंपनी जुर्माना के साथ दंडनीय होगी, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगी, लेकिन जो पा¡च लाख रूपये तक हो सकती है और हर अधिकारी जो चूक रूप से है, एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा हो सकता है कि छह महीने तक या जुर्माने के साथ जो एक लाख रूपये या दोनों के साथ हो सकता है।
	6. में खंड 64, उप खंड (2) के लिए, निम्न उप खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: जहा¡ कोई भी कंपनी उप–धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, ऐसी कंपनी और प्रत्येक	4.24	यदि कोई कंपनी और कंपनी का कोई भी अधिकारी जो चूक रूप से

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिकारी जो चूक रूप से है, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसा चूक जारी रहता है, या पाँच लाख रूपये जो भी कम हो।"		उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह या तो उस दंड के साथ दंडनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपये तक का हो सकता है, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, या पांच लाख रूपये, जो भी कम हो।
	7. में खंड 77, उप खंड (1) में, पहले और दूसरे प्रावधानों के लिए, निम्नलिखित प्रावधानों प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "बशर्ते, कि कंपनी द्वारा एक आवेदन पर रजिस्ट्रार, ऐसे पंजीकरण की अनुमति दे सकता है – (ए) ऐसी रचना के तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की शुरूआत से पहले लगाए गए प्रभारो के मामले में; या (ख) ऐसी रचना के साठ दिनों की अवधि में (अतिरिक्त) कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2019 के प्रारंभ होने के बाद बनाए गए प्रभारो क भुगतान पर, जो अतिरिक्त शुल्क के रूप में निर्धारित किया जा सकता है: आगे प्रदान किया गया है कि यदि पंजीकरण निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है – (ए) खंड में (ए) पहले अन्तिम के लिए, प्रभार का पंजीकरण कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा, जो कि निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर और हो सकता है कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं; (ख) पहले परंतुक के खंड (ख) में, रजिस्ट्रार सकता है, एक आवेदन पर, इस तरह के लिए अनुमति देने के पंजीकरण इस तरह के भुगतान के बाद साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर किए जाने की यथामूल्य के	6.3	रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा एक आवेदन पर, इस तरह के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर इस तरह के निर्माण के तीन सौ दिनों के भीतर किए जाने वाले पंजीकरण की अनुमति दे सकते हैं : इस तरह के निर्माण के तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो कंपनी को धारा 87 के अनुसार समय का विस्तार चाहिए :

© The Institute of Chartered Accountants of India

	रूप में निर्धारित किया जा सकता फीस।"		
	8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 86 को उप–धारा (1) के रूप में गिना जाएगा और उप–खंड (1) के बाद इतनी संख्या में, निम्नलिखित उप–अनुभाग को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : "(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी गलत या गलत जानकारी को प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी भी भौतिक जानकारी को दबाता है, तो धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत होने के लिए आवश्यक है, वह धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।"	6.10	उप–अनुभाग नया डाला गया है
	9. लिए खंड 87, निम्न अनुभागों प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "87। संतुष्ट होने पर केंद्र सरकार – (ए) इस अध्याय के तहत आवश्यक समय के भीतर, शुल्क के भुगतान या संतुष्टि के रजिस्ट्रार को सूचना देने की चूक; या (ख) किसी भी विशेष की चूक या गलत विवरण, पूर्व में रजिस्ट्रार को दिए गए किसी भी दाखिल में, जिसमें इस तरह के आरोप या संशोधन के संबंध में या किसी भी संतुष्टि के संबंध में या धारा or 2 या धारा 833 के अनुसरण में किए गए संतुष्टि या अन्य प्रविष्टि के संबंध में है। आकस्मिक या अनजाने में या किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण या यह कंपनी के लेनदारों या शेयरधारकों की स्थिति को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने की प्रकृति का नहीं है, यह कंपनी या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे नियमों और शर्तों के रूप में हो सकता है। यह उचित और समीचीन है, यह निर्देश देता है कि भुगतान या संतुष्टि देने के लिए समय बढ़ाया जाएगा या, जैसा कि मामले में आवश्यकता हो सकती है, कि चूक या गलत विवरण को ठीक किया जाएगा।"	6.10	**(1) संतुष्ट होने पर केंद्र सरकार – ..... चार्ज से पहले वास्तव में पंजीकृत है।**
	10. में धारा 90, (i) उप–खंड (9) के लिए, निम्नलिखित उप–अनुभाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(9) न्यायाधिकार के आदेश से दुखी कंपनी या व्यक्ति इस तरह की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर	–	(2) ट्रिब्यूनल के आदेश से दुखी कंपनी या व्यक्ति उप–धारा (I) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को

© The Institute of Chartered Accountants of India

	उप–धारा (8) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को छूट या उठाने के लिए न्यायाधिकार को एक आवेदन कर सकता है। आदेशः बशर्ते कि उप–धारा (8) के तहत आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोई आवेदन दाखिल नही किया गया हो, तो ऐसे शेयरों के बिना किसी प्रतिबंध के उप–धारा (5) के तहत गठित प्राधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। धारा 125, इस तरह से निर्धारित की जा सकती है।"		शिथिल करने या उठाने के एि न्यायाधिकार को एक आवेदन कर सकता है।
	10. धारा 90 में, उप–धारा (10) में, – (ए) शब्द "दंडनीय" के बाद, शब्द "एक साल के लिए कारावास के साथ जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या" डाला जाएगा; (बी) शब्द "दस लाख रूपये" के बाद, "या दोनों" शब्द डाले जाएंगे।		(शब्द नए सम्मिलित हैं)
	11. खंड 92 में, उप खंड (5), निम्न उप खंड प्रतिस्थापित किये जाऐंगे, अर्थात् : (5) यदि कोई भी कंपनी उप–धारा (4) के तहत अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहती है, तो उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसीा कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो चूक रूप से है, पचास हजार रूपए के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। और लगातार विफलता के मामले में, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये के जुर्माने के साथ, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रूपये के अधीन।"	7.12	**धारा 92 (5) अधिनियम की यह बताता है कि अगर इस अनुभाग में निर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरणी दाखिल में कंपनी चूक, कंपनी ठीक से दंडनीय है जो की तुलना में कम नहीं होगा किया जाएगा 50,000 लेकिन जो करने के लिए बढ़ाया जा सकता है 5,00,000 या 6 महीने तक की कैद या दोनों।**
	12. खंड 102 में, उप खंड के लिए (5), निम्न उप खंड	7.22	**यदि इस अनुभाग**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(5) उप–धारा (4) के प्रावधानों के पक्षपात के बिना, यदि इस खंड के प्रावधानों के अनुपालन में कोई चूक की जाती है, तो कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक निदेशक, प्रबंधक या अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी जो चूक रूप से हैं प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक या अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके किसी भी रिश्तेदार को, जो भी अधिक हो, पचास हजार रूपये के दंड या लाभ की राशि के लिए उत्तदायी हो।"		**के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई चूक हुई है, तो प्रत्येक प्रमोटर, निर्देशक, प्रबंधक, या अन्य प्रमुख प्रबंधकीय पैनल जो अंदर है चूक ठीक जो तक बढ़ाया जा सकता का दंड होगा 50,000 या 5 बार चूक निदेशक, प्रबंधक या अन्य प्रमुख प्रबन्धकीय कमियों या उसके रिश्तेदारों के किसी भी, जो भी अधिक है करने के लिए एकत्रित लाभ की राशि।**
	13. में खंड 105, उपखंड में (3), शब्द के लिए "ठीक से दंडनीय जो पांच हजार रूपए तक का हो सकता है", शब्द "पांच हजार रूपए की दंड के लिए उत्तरदायी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	7.25	**एक सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है, जो उस कंपनी के हर अधिकारी को सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, जो कि 5,000 रू. तक बढ़ सकती है।**
	14. में खंड 117, उप खंड के लिए (2), निम्न उप खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः "(2) यदि कोई भी कंपनी उप–धारा (1) के तहत संकल्प या समझौते को दर्ज करने में विफल रहती है,	7.46	**धारा 117 (2) आरओसी को उन प्रस्तावों और समझौतों के बारे**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	तो उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी कंपनी एक लाख रूपये के दंड और निरंतर विफलता के मामले में उत्तरदायी होगी, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रूपये के जुर्माने के साथ, जिसके दौरान ऐसीा विफलता जारी रहती है, अधिकतम पच्चीस लाख रूपये और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी क अधीन जो चूक रूप से कंपनी के परिसमापक सहित है, यदि कोई हो, तो पचास हजार रूपये के जुर्माने के साथ और लगातार असफलता के मामले में, प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रूपये के आगे के दंड के साथ, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रूपये के अधीन।"		**में बताने में विफलता के मामले में दंड निर्धारित करता है, जिन्हें धारा 403 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर दायर करने की आवश्यकता होती है और कहा जाता है कि कंपनी जुर्माना के साथ दंडनीय होगी जो इससे कम नहीं होगी। 5,00,000 लेकिन जो करने के लिए बढ़ाया जा सकता है 25,00,000 और कम्पनी के हर अधिकारी चूक में है, परिसमापक सहित, यदि कोई हो, ठीक से दंडनीय है जो की तुलना में कम नहीं होगा किया जाएगा 1,00,000 लेकिन जो तक बढ़ाया जा सकता रूपये 5,00,000।**
	15 खंड 121 में उप खंड के लिए (3), निम्न उप खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "(3) यदि कंपनी उप – के तहत रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहती है उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से	7.52	**अगर यह इस तरह के रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पहले खंड (2), ऐसी कंपनी एक लाख रूपये के जुर्माना और निरंतर विफलता के मामले में, पहले के बाद प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये के आगे के दंड के साथ, जिसके बाद ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम पाँच लाख रूपये के अधीन और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है, एक दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा और पा¡च सौ रूपये के आगे के दंड के साथ जारी विफलता के मामले में पहले दिन के बाद, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रूपये के अधीन।"		**तो कंपनी ठीक से दंडनीय है जो की तुलना में कम नहीं होगा किया जाएगा रूपये 1,00,000 लेकिन तक बढ़ाया जा सकता है जो रूपये 5,00,000 कंपनी, जो चूक में है की तथा हर एक अधिकारी, ठीक से दंडनीय होगा जो कम से कम नहीं होगा रूपये 25,000 लेकिन जो करने के लिए बढ़ाया जा सकता है रूपये 1,00,000।**
	16. खंड 137 में उप खंड में (3), (ए) "दंड के साथ दंडनीय" शब्दों के लिए, "दंड के लिए उत्तदायी" शब्द स्थानापन्न होंगे;	9.35	कंपनी होगी ठीक से दंडनीय की हर दिन के लिए रूपये 1,000 जिस दौरान विफलता जारी है।
	16. में खंड 137, उपखंड में (3), (बी) "कारावास के साथ दंडनीय" के साथ शुरू होने वाले भाग के लिए, और "पा¡च लाख रूपये या दोनों के साथ" समाप्त होने पर, शब्द "एक लाख रूपये के दंड के लिए और आगे की विफलता के साथ जारी विफलता के मामले में उत्तरदायी होगा।" पहले के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये की राशि, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम पा¡च लाख रूपये के अधीन "प्रतिस्थापित किया जाएगा।	9.35	ऐसा कोई भी निदेशक, कंपनी के सभी, निदेशकों के साथ दंडनीय होगा : **(I) 6 महीने तक की अवधि के लिए कारावास या दण्ड** **(2) दण्ड कम से कम हो रूपये 1**

© The Institute of Chartered Accountants of India

			लाख लेकिन जो लिए बढ़ाया जा सकता है रूपये 5 लाख, तक या (3) कारावास और जुर्माना दोनों।
	17 में खंड 140, उपखंड (3) के लिए, निम्न उप खंड विकल्प होगा, अर्थात्: (3) यदि ऑडिटर उप – धारा (2) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो वह या तो पचास हजार रूपये के दंड या अंकेक्षक के पारिश्रमिक के बराबर राशि के लिए उत्तरदायी होगा, जो भी हो कम है, और विफलता के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये का जुर्माना, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रूपये के अधीन।"	10.15	लेखा परीक्षक उक्त प्रावधान या अनुपालन नहीं करता है, वह या यह ठीक से दंडनीय है जो की तुलना में कम नहीं होगा किया जाएगा रूपये 50,000 लेकिन 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।
	18. में खंड 447 में दूसरे परंतुक में, शब्द "बीस लाख रूपए" शब्दों "पचास लाख के लिए रूपए" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	3.26	"बीस लाख रूपये" की राशि को कंपनियों (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 के अनुसार "पचास लाख रूपये" से बदल दिया गया है।
XIII	**से संबंधित संशोधन** अधिसूचना जीएसआर 1219 (ई) दिनांक 18 – "दिसंबर, 2018" केंद्र सरकार ने कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2018 द्वारा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोाधन किया है। यह पर 18 को अस्तित्व में आ जाएगा दिसंबर, 2018। कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में (बाद में उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), नियम 23 के बाद, निम्नलिखित नियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् :– "23A व्यवसाय शुरू करने के समय घोषणा। एक	2.41	नियम नया डाला गया है

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निदेशक द्वारा धारा 10 ए के तहत घोषणा फॉर्म संख्या – 20 ए में होगी और कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 और सामग्री में प्रदान की जाएगी। कहा जाता है कि फॉर्म को कंपनी सचिव या चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा सत्यापित किया जाएगाः बशर्ते कि किसी कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आदि जैसे किसी भी क्षेत्रीय नियामक से पंजीकरण या अनुमोदन की आवश्यकता वाली वस्तुओं का पीछा करते हुए, पंजीकरण या अनुमोदन, क्योंकि मामला ऐसे नियामक से हो सकता है। घोषणा के साथ भी प्राप्त और संलग्न होना चाहिए।"		
XXIV	**से संबंधित संशोधन** अधिसूचना जीएसआर 42 (ई) 22 दिनांक – जनवरी 2019 केंद्र सरकार ने कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियमों, 2014 को कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 में संशोधन किया है। यह 22 जनवरी, 2019 को लागू होगा। कंपनियों (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 में (बाद में उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) : 1. नियम 2 में, उप–नियम (1) में, उपखंड (ग) में, उप – खंड (xviii) में, "इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स," शब्द के बाद "रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स" शब्द डाले जाएंगे। 2. उक्त नियमों में, नियम 16 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात् :– "स्पष्टीकरण। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जमा राशि की वापसी दाखिल करने के लिए फॉर्म डीपीटी – 3 का उपयोग किया जाएगा लेन–देन के विवरणों को सरकारी कंपनी के अलावा हर कंपनी द्वारा जमा या दोनों के रूप में नहीं माना जाता है।" 3. नियम 16 (ए) में, उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् : "(3) सरकारी कंपनी के अलावा हर कंपनी बकाया का आजीवन विवरणी दाखिल करेगी किसी कंपनी द्वारा धन या ऋण की प्राप्ति, लेकिन जमा के रूप में नहीं,	1.5.4 2। 5.11 3.5. 11	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	नियम 2 के उप–नियम 1 के खंड (सी) के संदर्भ में 01 अप्रैल, 2014 से" तक [आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख], जैसा कि ** डीपीटी – 3 के भीतर निर्दिष्ट किया गया है ** [इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन] शुल्क के साथ कंपनियों (पंजीकरण कार्यालयों और शुल्क) नियमों, 2014 में प्रदान किया गया है।"		
XXV	**संशोधन से संबंधित** – अधिसूचना जीएस आर 341 (ई) दिनांक 30 वें अप्रैल, 2019 केंद्र सरकार ने कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 को कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2019 में संशोधन किया है। यह 22 जनवरी, 2019 को लागू होगा। कंपनियों में (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014, नियम 16 ए में, उप–नियम (3) में, – *(ए) "आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख" शब्दों के लिए, आंकड़े, पत्र और शब्द "31 मार्च, 2019" प्रतिस्थापित किए जाएंगें; ** (बी) इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से "नब्बे दिन" शब्दों के लिए, शब्द, आंकड़े और पत्र "31 मार्च, 2019 से नब्बे दिन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	5.11	ऊपर XXIV के संदर्भ में पढ़ें
XXVI	**से संबंधित संशोधन** – अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2019 केंद्र सरकार ने कंपनी (शुल्क का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2019 द्वारा कंपनी (शुल्क का पंजीकरण) नियम, 2014 में संशोधन किया है। कंपनियों में (शुल्क का पंजीकरण) नियम, 2014: 1. नियम 4 में, निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: **"4. रजिस्ट्रार को आवेदन** (1) पहले अनंतिम और धारा 77 के उपखंड (1) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार संतुष्ट हो सकता है कि कंपनी के पास विवरण और साधन दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। आवेश, यदि कोई हो, संशोधन सहित प्रभार के निर्माण की तारीख के तीस दिनों की अवधि के भीतर, तीस दिनों के बाद उसी के पंजीकरण की अनुमति दें, लेकिन शुल्क के भुगतान पर, उक्त अनंतिम में निर्दिष्ट अवधि	6.3	(ए) रजिस्ट्रार संतुष्ट होने पर हो सकता है, ... कंपनी के लेनदारों को हस्तक्षेप करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	के भीतर, अतिरिक्त शुल्क या अग्रिम शुल्क, जैसा कि लागू हो सकता है, जैसा कि कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में निर्धारित है। (2) उप–नियम (1) के तहत आवेदन फॉर्म में बनाया जाएगा। सीएचजी. – I और फॉर्म नंबर – CHG -9, जो कंपनी के सचिव या एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित कंपनी से एक घोषणा द्वारा समर्थित है कि इस तरह की विलंबित फाइलिंग नहीं होगी कंपनी के किसी भी अन्य हस्तक्षेप करने वाले लेनदारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।"		
	कंपनियों में (शुल्क का पंजीकरण) नियम, 2014: 2. के लिए नियम 12, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : **"12। पहले से दर्ज किए गए आरोपों की चूक या गलत विवरण के आधार पर आरोपों के रजिस्टर में संशोधन, प्रभार की संतुष्टि दर्ज करने में समय का विस्तार और I –** केंद्र सरकार धारा 87 के अनुसार फॉर्म संख्या सीएचजी – 8 में दायर एक आवेदन पर हो सकती हैं: (ए) किसी भी दाखिलों में चूक या गलत विवरण के प्रत्यक्ष सुधार, किसी भी आरोप या संशोधन के संबंध में रजिस्ट्रार के साथ पहले दर्ज किए गए, या धारा 82 के अनुसरण में किए गए संतुष्टि या अन्य प्रविष्टि के किसी भी ज्ञापन के संबंध में। धारा 83, (बी) प्रभारी की संतुष्टि के लिए समय का प्रत्यक्ष विस्तार, अगर इस तरह के भुगतान या संतुष्ठि की तारीख से तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर फाइलिंग नहीं की जाती है।"	6.11	**द्वितीय। विलंब और आरोपों के रजिस्टर को सुधारने का संदेश।** **नियम 12 के अनुसार ..... उक्त क्रम में।**
परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881			
1.	**से संबंधित संशोधन** परक्राम्य विलेख अधिनियम मे संसोधन 1881 विधि ओर न्याय मंत्रालय ने परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 में परक्राम्य विलेख अधिनियम (संसोधन अधिनियम 2018) संसोधन किया है। इस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की ओर 2Aug 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई। परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के धारा 143 के बाद		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निम्नलिखित धारा सम्मिलित की गयी।		
	In the Negotiable Instruments Act, 1881 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 143, the following section shall be inserted, namely:— **143 A प्रत्यक्ष अंतरिम क्षतिपूर्ति की शक्ति** (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के बावजुद, धारा 138 के तहत अपराध की कोशिश करने वाले न्यायालय शिकायकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए चेक के दराज का आदेश जारी कर सकता है। (a) सारांश परीक्षण जहा वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नही है। (b) अन्य स्थिती में शुल्क चार्ज। (2) अंतरिम क्षतिपूर्ति उपधारा (1) के अनुसार चेक के 20 प्रतिशत राशि से अधिक नही होगी। (3) अंतरिक क्षतिपूर्ति का भुगतान उपधारा (1) के आदेश के 60 दिनों के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए। इस तरह की आगे की अवधि 30 दिन से अधिक नही जहा न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। (4) यदि चेक का दराज बरी हो जाता है तो न्यायालय शिकायतकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए शुरू करेगा वितिय वर्ष आदेश की तारीख के 60 दिनों के भीतर ओर आगे की अवधि 30 दिनों से अधिक ना हो। न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के पर्याप्त कारण पर निर्देशित किया जा सकता है। (5) इस धारा के तहत देय अंतरिक क्षतिपूर्ति की वसुली की जा सकती है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के तहत जुर्माना था। (6) इस धारा 138 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के तहत दिए गए मुआवजे की राशि अंतरिम के रूप में अदा था वसुल की गयी राशि से कम हो जाएगी। (2) प्रधान अधिनियम की धारा 147 के बाद निम्न धाराए सम्मिलित की जाएगी।		- (The section is newly inserted)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(2) In the principal Act, after section 147, the following section shall be inserted, namely:— **148 न्यायालय की शक्ति, सभा के खिलाफ अपील भुगतान का आदेश देने के लिए अपील** (1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की अपील के बावजुद अपीलकर्ता को अदालत ऐसी राशि जमा कराने का आदेश जारी कर सकती है। जो कम से कम 20% होगी। ट्रायल कोट द्वारा दिए गए जुर्माने। इस उपधारा के तहत देय राशि धारा 143 A के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम के अतिरिक्त होगी। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। इसके आगे की अवधि 30 दिनो से अधिक नही। जैसा न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है या पर्याप्त कारण दिखाया जा सकता है। (3) अपील के कार्य दौरान अपीलीय अदालत अपीलकर्ता द्वारा किसी भी समय अपीलकर्ता द्वारा जमा की गयी राशि को जारी करने का निर्देश सकती है। यदि अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाता है तो अदालत शिकायतकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित को जारी की गई राशि अपीलार्थी को चुभाने का निर्देश देगा। वितिय वर्ष के शुरूआत में, 60 दिनों के भीतर ओर आगे की अवधि 30 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है। जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए जा रहे पर्याप्त कारण पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।		- (The section is newly inserted)

Page No of the study mataria with Reference of Relevant Provision

Note : कॉपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कंपनीयों के नियम 14 (प्रतिभुति ओर आबंटन प्रक्रिया) नियम 2014 के माध्यम से कंपनियों के प्राविवरण ओर प्रतिभूतियों के नियम को बदल दिया गया है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि कंपनियों के नियम 4(2)

© The Institute of Chartered Accountants of India

(प्रविवरण तथा प्रतिभूतियो का आबंटन) के नियम 2014 से सम्बन्धित नियम ना पढ़े। मई 2019 के लिए संशोधित नियम परीक्षाओं के लिए लागु नहीं किए गए है।

भाग – II : प्रश्न और उत्तर

प्रश्न

डिवीजन ए – विविध विकल्प पश्न

1. एज्टेक मशीन लिमिटेड के पास जमीन का एक भूखंड है, जिसे रूपये 2.00 करोड़ के सावधि ऋण के लिए अर्बन कमर्शियल बैंक लिमिटेड को गिरवी रखा गया था। बंधक को रजिस्ट्री के साथ विधिवत पंजीकृत किया गया था। रूपये 50.00 लाख की पहली ऋण किस्त को इस शर्त के साथ सावधि ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद जारी किया गया था कि बाद में रूपये 50.00 लाख की तीन किस्तें पहले जारी की गई किस्त का संतोषजनक रूप से उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाएंगी। क्या कंपनी या बैंक के लिए संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ प्लॉट पर चार्ज रजिस्टर करना आवश्यक है, जब बंधक केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत है?

(a) यह आवश्यक नहीं है कि बैंक या कंपनी के लिए संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ जमीन के भूखंड पर चार्ज दर्ज करना आवश्यक हो, जब बंधक केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत हो।

(b) संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ पंजीकृत जमीन पर प्लाट पर चार्ज प्राप्त करना आवश्यक है, इस तथ्य के बावजूद कि बंधक केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत है।

(c) प्लॉट पर प्रभार संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास तभी पंजीकृत होना चाहिए, जब बैंक के साथ कंपनी की वास्तविक देयता रूपये 1.00 करोड़ से अधिक हो।

(d) भूखंड पर प्रभार कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार (आरओसी) केवल जब अवधि ऋण कंपनी को बैंक द्वारा मंजूर से अधिक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है रूपये 2.00 करोड़ रूपए है।

2. दृष्टि से अपने कारखाने के अपने उत्पादन को बढ़ाने के साथ, सूर्या तकनीकी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 50 लाख का ऋण लायक अपने कारखाने एक नई मशीनरी की खरीद के लिए Shrilaxmi पहले बैंक लिमिटैड से लाख सुरक्षा के रूप में 2.25 करोड़ रूपए है। हालांकि, कंपनी ने निर्दिष्ट समय के भीतर ऋण देने वाले बैंकर के पक्ष में पंजीकृत कारखाने पर शुल्क प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जैसे ही प्रभार धारक बैंक को आरओसी के साथ प्रभार न दर्ज करने के बारे में पता चला, उसने रजिस्ट्रार

© The Institute of Chartered Accountants of India

को आवेदन के लिए प्रभार के साथ ही इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आवेदन कर दिया और मांगे जाने पर अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया। बैंक को सलाह दें कि क्या वह सूर्या टेक्नो – प्रोडक्ट्स से पंजीकरण के लिए भुगतान की गई फीस की वसूली कर सकता है।

(a) हाँ, बैंक शुल्क के पंजीकरण के लिए इसके द्वारा भुगतान की गई फीस की वसूली कर सकता है।

(b) नहीं, बैंक शुल्क के पंजीकरण के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई फीस की वसूली नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक पंजीकृत होने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है।

(c) केवल जब यह क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) से वसूली आदेश प्राप्त करता है, तो बैंक कंपनी से प्रभार से पंजीकरण के लिए इसके द्वारा भुगतान की गई फीस की वसूली कर सकता है।

(d) केवल जब वह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से रिकवरी ऑर्डर प्राप्त करता है, तो बैंक कंपनी से प्रभार के पंजीकरण के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई फीस की वसूली कर सकता है।

3. सिग्नस सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड द्वारा अपने कार्यालय परिसर पर एक प्रभार बनाया गया था की अवधि के ऋण सुरक्षित करने के रूपये 16 पर दोनों पक्षों द्वारा आरोप का एक साधन के माध्यम से 1.00 करोड Next Gen वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड से लाभ उठाया कंपनी अनजाने में फरवरी, 2019, कानून द्वारा अनुमत पहली वैधानिक अवधि के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ पंजीकृत प्रभार प्राप्त नहीं कर सकता था और ऋणदाता बैंकर द्वारा इसे कठोर बनानेकी चेतावनी दी गई थी ताकि सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें। कंपनी को नवीनतम तारीख के बारे में सलाह दें जिसके भीतर उसे आरओसी के साथ प्रभार पंजीकृत करना होगा ताकि प्रभार पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रकार की फीस का भुगतान करने की आवश्यकता न हो।

(a) प्रभारी पंजीकरण के लिए फीस का एक विशेष प्रकार का भुगतान से बचने के दृष्टिगत, कंपनी को 27 अप्रैल 2019 तक नवीनतम पंजीकृत प्रभारी मिल जाना चाहिए।

(b) प्रभारी पंजीकरण के लिए फीस का एक विशेष प्रकार का भुगतान से बचने के दृष्टिगत कंपनी 17 अप्रैल 2019 तक को नवीनतम पंजीकृत प्रभारी मिल जाना चाहिए।

(c) प्रभारी पंजीकरण के लिए फीस का एक विशेष प्रकार का भुगतान से बचने के दृष्टिगत कंपनी को 2 मई 2019 तक नवीनतम पंजीकृत प्रभारी मिल जाना चाहिए।

(d) कंपनी को अब प्रभार पंजीकरण नहीं मिल सकता है क्योंकि कानून द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. 2 नवम्बर, 2018 को Cyplish खेल और खिलौने लिमिटेड को 60 लाख का अवधि ऋण मंजूर किया, पर Zawnn औद्योगिक बैंक लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति के रूप में, कंपनी ने अपने कार्यालय बांद्रा, मुंबई में स्थित परिसर की पेशकश की और प्रभार का एक साधन सम्पादित किया था। हालाँकि, कंपनी संबंधित रजिस्ट्रार के साथ पहले के साथ–साथ कानून के अनुसार उपलब्ध दूसरी वैधानिक अवधि के लिए पंजीकृत होने में विफल रही। बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी और इसलिए, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक, शाहजी से सख्त सलाह के बाद, कंपनी को प्रभार के पंजीकरण के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। विशिष्ट प्रकार की फीस का नाम बताएं जो कंपनी को अब पंजीकरण के शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक है।

(a) विशेष शुल्क।

(b) एड – वैलोरेम फीस।

(c) एक लेट पंजीकरण शुल्क।

(d) Ad – valorem ड्यूटी।

5. सुमित्रा हेल्थकेयर एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने 9% गैर – परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी किए थे जो चार साल पहले परिपक्व हो गए थे। हालाँकि, 100 प्रत्येक के 1000 ऐसे डिबेंचर परिपक्व होने के बाद भी लावारिस और अवैतनिक हैं। उस अवधि के बाद, जिसके बाद कंपनी उन्हें लावारिस और अवैतनिक रहने पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(a) परिपक्वता तिथि से पा¡च साल की समाप्ति के बाद।

(b) परिपक्वता तिथि से छह वर्ष की समाप्ति के बाद

(c) परिपक्वता तिथि से सात वर्ष की समाप्ति के बाद

(d) परिपक्वता तिथि से आठ वर्ष की समाप्ति के बाद।

6. डिलाईट स्पोर्ट्स गारमेंट्स लिमिटेड प्रविवरण के मुद्दे के माध्यम से धन जुटाने पर विचार कर रहा है, जिसमें निदेशकों के अनुसार, 50 करोड़ की राशि को न्यूनतम राशि के रूप में बताया जाना चाहिए जिसे संभावित ग्राहकों द्वारा सदस्यता लेने की आवश्यकता है। धनराशि आवेदन, आवंटन, पहली कॉल और दूसरी और अंतिम कॉल से युक्त चार किश्तों में उठाई जाएगी। कंपनी को सलाह दें कि वह किस्त में बताई गई न्यूनतम सदस्यता प्राप्त करे।

(a) आवेदन धन के रूप में सदस्यता ली गई राशि के साथ।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) अंतिम कॉल मनी के रूप में सदस्यता ली गई राशि के साथ।

(c) पहल कॉल मनी के रूप में सब्सक्राइब की गई राशि के साथ।

(d) दूसरी और अंतिम कॉल मनी के रूप में आवेदित की गई राशि के साथ।

7. तक्षशिला ट्रेडर्स लिमिटेड के सभी 40 सदस्यों के पास वैध मतदान अधिकार हैं। कुछ तात्कालिकता के कारण, इसके निदेशक वैधानिक रूप से आवश्यक की तुलना में कम सूचना पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने के इच्छुक हैं। क्या ऐसा करना उनके लिए संभव है?

(a) तक्षशिला ट्रेडर्स लिमिटेड सांविधिक रूप से आवश्यक से कम नोटिस पर एजीएम नहीं बुला सकता है।

(b) तक्षशिला ट्रेडर्स लिमिटेड, अगर लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सहमति के लिए AGM को कम से कम नोटिस पर AGM बुला सकती है, तो उन सभी चालीस सदस्यों द्वारा समझौता किया जाता है, जो AGM में मतदान के हकदार हैं।

(c) तक्षशिला ट्रेडर्स लिमिटेड, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सहमति से कम से कम 38 सदस्यों द्वारा एजीएम को बुला सकती है, जो एजीएम में वोट देने के लिए कम से कम 38 सदस्य हैं।

(d) तक्षशिला ट्रेडर्स लिमिटेड, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सहमति से कम से कम 36 सदस्यों द्वारा एजीएम को बुला सकता है, जो एजीएम में मतदान करने के लिए कम से कम 36 सदस्यों द्वारा सहमत है।

8. A बी पर 500 का बिल ड्रॉ करता है जो के आदेश को देय होगा B बिल स्वीकार करता है, लेकिन बाद में भुगतान न होने से यह अस्वीकृत हो गया। बिल पर A ने मुकदमा बी पर किया बी यह साबित करता है कि यह मान के लिए 400 के रूप में स्वीकार किया गया था, और A ने अवशेष के रूप में पूरे किया वादी को सामजंस्य के रूप में। इस प्रकार, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के प्रावधानों के अनुसार, ए केवल निम्नलिखित राशि की वसूली कर सकता है :

(a) 900

(b) 500

(c) 400

(d) 100

© The Institute of Chartered Accountants of India

भाग ब विस्तृत प्रश्न

कंपनी विधी :

कंपनी अधिनियम, 2013

1. एस लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें एच लिमिटेड। अपनी चुकता शेयर पूंजी का 60% हिस्सा अपने पास रखता है। H Ltd. के शेयरधारक में से एक ने धर्मार्थ ट्रस्ट को बनाया और H Ltd. 10% शेयर तथा 50 करोड ट्रस्ट को दान कर दिए। उन्होंने S लिमिटेड को न्यासी के रूप नियुक्त किया। ट्रश्ट की सभी संपत्तियां S Ltd. के नाम पर होती है। क्या कोई सहायक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी में शेयर इस तरह से रख सकती है?

2. विंटेज सुरक्षा उपकरण लिमिटेड सीसीटीवी कैमरों के निर्माता हैं। यह गया है। सीसीटीवी कैमरे विनिर्माण में से एक अधिक यूनिट शुरू करने के लिए अपने इक्विटी शेयर के सार्वजनिक निर्गम के जरिए 100 करोड़ रूपए है। इसने 10 करोड रूपये का उपयोग किया है और फिर यह महसूस किया कि इसके मौजूदा कारोबार में विस्तार की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सरकार ने सीसीटीवी कैमरे के आयात पर सीमा शुल्क घटा दिया है इसलिए चीन से आयातित कैमरे अपने स्वयं के विनिर्माण से सस्ते हैं। अब यह अपने पार्षद सीमानियम में एक नई वस्तु जोड़कर शेष राशि का उपयोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस में करना चाहता है।

क्या कंपनी अधिनियम, 2013 वस्तु के ऐसे परिवर्तन की अनुमति देता है। अगर नहीं तो आप कंपनी को क्या सलाह देंगे। यदि हाँ, तो पालन किए जाने वाले कदम बताएं।

3. क्या कंपनी की ओर से किसी भी सूचना के अभाव में संतोष की प्रविष्टियां और आरोपों को जारी करने की शक्तियां क्या हैं। इस मामले पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रकाश में चर्चा करें।

4. नीमराना इंफोटेक लिमिटेड को 1.4.2017 को शामिल किया गया था। कंपनी की अब तक कोई आम बैठक नहीं हुई है। पहली वार्षिक आम बैठक के लिए समय का विस्तार प्रदान करने के लिए कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक और रजिस्ट्रार की शक्ति रखने की समय सीमा के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को स्पष्ट करें।

5. श्री पिंक ने रेड लिमिटेड के शेयरों का आंशिक रूप से भुगतान किया। कंपनी ने उसे शेयरों पर अंतिम कॉल के पैसे का भुगतान करने के लिए कहा। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह कंपनी को कॉल मनी की राशि का भुगतान करने में असमर्थ था। शेयरधारकों की एक आम बैठक में, अध्यक्ष ने उन्हें इस आधार पर अपना वोट डालने के लिए मना कर दिया कि लेखों ने एक अंश धारक को वोट देने की अनुमति नहीं दी है यदि उसने अपने द्वारा रखे गए अंशों पर कॉल का भुगतान नहीं किया है। श्री पिंक ने

© The Institute of Chartered Accountants of India

सभापति के निर्णय पर चुनाव लड़ा। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह तय करें कि क्या श्री पिंक का विवाद वैध है।

6. रेड लिमिटेड को 1 अप्रैल 2014 को शामिल किया गया था, जो अर्थव्यवस्था के अवसाद के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है। अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण अधिकांश सदस्यों ने कंपनी से अपनी धारिता वापस लेना शुरू कर दिया हैं। 10 जनवरी, 2019 को कंपनी के 250 सदस्य थे। 15 जनवरी, 2019 तक, 244 सदस्यों ने अपनी सूत्रधारी वापस ले ली थी। 15 फरवरी के बाद आज तक किसी भी नए सदस्य ने कंपनी में निवेश नहीं किया है। अब, श्री ए, एक मौजूदा सदस्य ने आपको ऐसी स्थिति में अपनी देनदारियों के बार में सलाह देने के लिए उनसे संपर्क किया है।

7. एक सूचीबद्ध कंपनी रिजवान लिमिटेड, कपड़ा निर्माण के व्यवसाय में है और इसका पंजीकृत कार्यालय 123, एन टॉवर, वाणिज्यिक बीटा कॉम्प्लेक्स, बिवाड़ी, राजस्थान में है। कंपनी ने अपने 6 AGM का आहवान किया है। यह बैठक में 3 बजे 22 अगस्त, 2019 को अंसल प्लाजा, भिवाडी में रखी गई। कंपनी के कुछ सदस्यों ने अंसल प्लाजा में बैठक बुलाने का विरोध किया है। कंपनी ने उनसे इस संबंध में आपको सलाह देने के लिए संपर्क किया है।

मान लीजिए, रिजवान लिमिटेड एक असूचीबद्ध कंपनी है और जयपुर में अपनी 6^{th} एजीएम को बुलाना चाहती है, तो क्या आपका जवाब अलग होगा।

8. येलो लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार कर लिए हैं। श्री प्रेटेक, कंपनी के प्रबंध निदेशक इन वित्तीय वक्तव्यों पर हस्ताक्षर करने के लिए इस आधार पर मना कर रहे हैं कि बोर्ड द्वारा अनुमादित वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करना केवल निदेशक मंडल का कर्तव्य है और वह हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब, श्री प्रतीक ने वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी जवाबदेही के बारे में आपको सलाह दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में श्री प्रतीक को सलाह दें।

श्री प्रतीक ने आपको निम्नलिखित और अधिक जानकारी भी प्रदान की है:

1. एक नीति के रूप में बोर्ड वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के अध्यक्ष को अधिकृत नहीं करता है

2. कंपनी ने सुश्री सुनैना को अपना कंपनी सचिव नियुक्त किया है

अन्य कानून:-

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872

© The Institute of Chartered Accountants of India

9. श्री चिंटू को एबीसी कंस्ट्रशन कंपनी के साइट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था जो दो साल के अनुबंध पर 50,000 रूपये के मासिक वेतन पर था। श्री गणेश ने श्री चिंटू के अंतरंग आचरण के संबंध में एक निश्चितता दी। छह महीने के बाद कंपनी वित्तीय बाधाओं की वजह से श्री चिंटू को 50,000 का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। कंपनी के 30,000 रूपये के कम वेतन के लिए चिंटू सहमत हुए। यह श्री गणेश को सूचित नहीं किया गया था। तीन महीने बाद पता चला कि चिंटू अपनी नियुक्ति के समय से ही धोखाधड़ी कर रहा था। श्री गणेश के दायित्व क्या है चिन्टू की पूरी अवधि के दौरान

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

10. श्री माधवनन ने श्री विका को देय एक चेक या आदेश के रूप में दिया। श्री विकास ने चेक खो दिया और चेक के नुकसान के बारे में पता नहीं था। जो व्यक्ति की जांच में पाया गया कि श्री व्यास के हस्ताक्षर जाली और उसका समर्थन करने के लिए पावन माल श्री से उसके द्वारा खरीदा के लिए विचार के रूप में पा वान। श्री पा वान ने चेक को उसी दिन बैंक से अलग किया। श्री विकास ने तीन दिनों के बाद चेक की चोरी के बारे में आहरणी बैंक को सूचित किया। आहरनी बैंक की देनदारी की जांच करें।

अपने उत्तर को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के प्रावधान के संदर्भ में दें।

जनरल क्लाज एक्ट, 1897

11. व्यास के पास पचास इमली के वृक्षों वाली भूमि थी। उसने अपनी जमीन और लकड़ी (पचास पेड़ों को काटने के बाद प्राप्त) को यश को बेच दिया। व्यास जानना चाहते हैं कि क्या इमारती लकड़ी की बिक्री अचल संपत्ति की बिक्री के लिए है। "जनरल क्लॉज एक्ट, 1897" के प्रावधानों के सदंर्भ में उसे सलाह दें।

विधियों की व्याख्या

12. बताइए कि क्या भारतीय अधिनियमों को बनाने के लिए विदेशी निर्णयों का उपयोग किया जाता है।

सुझावित उत्तर / सुझाव

विविध विकल्प के परीक्षण के लिए प्रभाग

Question No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Correct Option	(b)	(a)	(b)	(b)	(c)	(a)	(c)	(c)

© The Institute of Chartered Accountants of India

विभिन्न खण्डों के विस्तार के लिए प्रभाग

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अनुसार, कोई कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी में या तो अपने नामांकितों के माध्यम से कोई अंश नहीं रखेगी। इसके अलावा, सूत्रधारी कंपनी को अपनी किसी भी सहायक कंपनी को अपने अंश आवंटित या हस्तांतरित नहीं करने चाहिए और किसी सहायक कंपनी के अंशों के ऐसे किसी भी आवंटन या हस्तांतरण को शून्य करना होगा।

उपरोक्त नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं –

(a) जहा¡ सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी के एक मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में इस तरह के अंश रखती है; या

(b) जहा¡ सहायक कंपनी ट्रस्टी के रूप में ऐसे अंश रखती है; या

(c) जहा¡ सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले ही अंश धारक है, लेकिन इस मामले में उसे सूत्रधारी कंपनी की बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

दिए गए मामले में सूत्रधारी कंपनी के शेयरधारकों में से एक ने अपने शेयरों को सूत्रधारी कंपनी में एक ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जहां शेयर सहायक कंपनी द्वारा रखे जाएंगे। इसका मतलब है कि अब सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी में शेयर रखेगी। लेकिन यह एक ट्रस्टी की क्षमता में शेयरों को रखेगा। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दी गई स्थिति में एस लिमिटेड एच लिमिटेड में शेयर रख सकता है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार, एक कंपनी, जिसने प्रविवरण के माध्यम से जनता से पैसा जुटाया है और अभी भी किसी भी तरह से जुटाई गई धनराशि में से कोई भी अनुपयोगी राशि है, तब तक अपनी वस्तुओं को नहीं बदलेगा, जिसके लिए उसने प्रविवरण के माध्यम से धन जुटाया है। कंपनी द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है और

(i) इस तरह के संकल्प के संबंध में विवरण भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा (एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में) जो उस स्थान पर प्रचलन में है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थिति है और उसे भी रखा जाएगा। कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के औचित्य को इंगित करता है;

(ii) असंतुष्ट अंशधारकों को सेबी के नियमों के अनुसार प्रवर्तकों और अंश धारकों के नियंत्रण से बाहर निकलने का अवसर दिया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपनी को आरओसी के साथ विशेष प्रस्ताव की प्रति दाखिल करनी होगी और वह तीस दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण को प्रमाणित करेगा। आरओसी द्वारा दस प्रमाणपत्र के बाद ही परिवर्तन प्रभावी होगा।

उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने ज्ञापन में मोबाईल ऐप के विकास की वस्तु को जोड़ सकती है और सार्वजनिक धन को उस व्यवसाय में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए उसे उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

3. 2013 के अधिनियम की धारा 83 रजिस्ट्रार को यह अधिकार देती है कि वह कंपनी से उसके द्वारा कोई सूचना प्राप्त न होने पर भी संतुष्टि और आरोप मुक्त करने के संबंध में प्रविष्टियाँ करे।

तदनुसार, किसी भी पंजीकृत शुल्क के संबंध में यदि कोई साक्ष्य रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि चार्ज द्वारा सुरक्षित ऋण का भुगतान किया गया है या पूरे या आंशिक रूप से संतुष्ट है या उस संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा प्रभार से जारी किया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनना बंद हो गया है, तो वह संतोष के ज्ञापन के आरोपों के रजिस्टर में दर्ज कर सकता है:

- ऋण पूरे या आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया है; या
- संपत्ति का हिस्सा या उपक्रम चार्ज से जारी किया किया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनना बंद हो गया है।

इस शक्ति का उपयोग रजिस्ट्रार द्वारा इस तथ्य के बावजूद किया जा सकता है कि कंपनी की ओर से उसे कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रभावित पक्षों को जानकारी : रजिस्ट्रार प्रभावित पक्षों को प्रभार के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा।

प्रमाणपत्र जारी करना : नियम 8(2) के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार पूर्ण से प्रभार की संतुष्टि के ज्ञापन मे ंप्रवेश करता है, तो वह प्रभार की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को अपने पहले वित्तीय वर्ष के समापन से 9 महीने की अवधि के भीतर अपनी पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होगी।

यह भी प्रदान करता है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से, उस समय का विस्तार कर सकता है जिसके भीतर कोई वार्षिक आम बैठक, पहली वार्षिक आम बैठक के अलावा, तीन महीने से अधिक नहीं होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

दिए गए मामले में, लेने के पहले वित्त वर्ष नीमराना इन्फोटेक लिमिटेड अवधि के लिए 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक 31 वें दिसम्बर 2018 से पहले आयोजित किया जाना चाहिए।

धारा 99 के अनुसार, यदि किसी भी चूक को धारा 96, वें ई कंपनी के अनुसार कंपनी की एक बैठक आयोजित करने में बनाया जाता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक रूप से है, जुर्माना के साथ दंडनीय होगा जो एक लाख रूपये तक बढ़ सकता है और एक निरंतर चूक के मामले में, एक और जर्माना के साथ जो हर दिन पांच हजार रूपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान ऐसा चूक जारी रहता है।

भले ही कंपनियों के रजिस्ट्रार को वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने के लिए 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए समय का विस्तार देने का अधिकार है, लेकिन ऐसी शक्ति पहली वार्षिक आम बैठक के मामले में लागू नहीं होती है। इस प्रकार, कंपनी और उसके निदेशकों धारा के तहत उत्तरदायी होगा 99 कंपनी अधिनियम, के 2013 चूक के लिए करता है, तो वार्षिक आम बैठक 31 दिसम्बर 2018 के बाद का आयोजन किया गया।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 106(1) में कहा गया है कि कंपनी के लेख यह प्रदान कर सकते हैं कि कोई भी सदस्य अपने नाम पर पंजीकृत किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जिस पर कोई कॉल या अन्य रकम वर्तमान में उसके द्वारा देय हो। भुगतान नहीं किया गया है, या जिसके संबंध में कंपनी ने ग्रहणाधिकार के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया है।

वर्तमान मामले में कंपनी के लेख एक शेयरधारक को मतदान करने की अनुमति नहीं देते हैं यदि उसने अपने द्वारा रखे गए अंशों पर कॉल का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, बैठक में अध्यक्ष को बैठक में वोट देने के अधिकार से इनकार करने के अपने अधिकार के भीतर अच्छी तरह से है और श्री पिंक का विवाद मान्य नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 ए के अनुसार, यदि किसी समय किसी कंपनी के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, तो सार्जजनिक कंपनी के मामले में, सात से नीचे, एक निजी कंपनी के मामले में, दो से नीचे, और कंपनी छह महीने से अधिक समय तक व्यापार करती है जबकि सदस्यों की संख्या इतनी कम हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय के दौरान कंपनी का सदस्य होता है, इसलिए वह उन छह महीनों के बाद व्यापार करता है और इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि यह सात सदस्यों या दो सदस्यों से कम के व्यवसाय पर, जैसा कि मामला हो सकता है, उस समय के दौरान अनुबंधित कंपनी के संपूर्ण ऋणों के भुगतान के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होगा, और इसके लिए गंभीर रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(2) के अनुसार, ई – वार्षिक आम बैठक को व्यावसायिक घंटों के दौरान बुलाया जाएगा, जो कि किसी भी दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच है जो कि राष्ट्रीय अवकाश नहीं है और आयोजित किया जाएगा या तो कंपनी

© The Institute of Chartered Accountants of India

के पंजीकृत कार्यालय में या शहर, शहर या गाँव के भीतर किसी अन्य स्थान पर, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

बशर्ते कि एक गैर – सूचीबद्ध कंपनी की वार्षिक आम बैठक भारत में किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है यदि सहमति लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सभी सदस्यों द्वारा अग्रिम में दी गई हो।

इस प्रकार, पहले मामले में, कंपनी अंसल प्लाजा में वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए सही है।

दूसरे परिदृश्य में, एक असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, भारत में किसी भी स्थान पर वार्षिक आम बैठक आयोजित की जा सकती है यदि सहमति लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सभी सदस्यों द्वारा अग्रिम में दी गई हो। इसलिए, यदि सभी सदस्यों द्वारा अग्रिम में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से सहमति दी जाती है, तो एजीएम को जयपुर में बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(1) के अनुसार, यह वित्तीय विवरण, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, तो बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित होने से पहले उन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वह कंपनी जहां वह बोर्ड द्वारा या दो निदेशकों द्वारा प्राधिकृत होता है, जिसमें से कोई एक निदेशक यदि कोई हो, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, जहां भी वे नियुक्त होते हैं, या प्रबंध निदेशक होंगे वन डायरेक्टर कंपनी का मामला, केवल एक निदेशक द्वारा, उसकी रिपोर्ट के लिए लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए।

प्रश्न के तथ्यों के अनुसार, बोर्ड ने वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के अध्यक्ष को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरण पर दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनमें से एक प्रबंध निदेशक [यानी श्री प्रतीक] होगा।

9. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार, यदि लेनदान बिना किसी जमानत के सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन (अर्थात् शर्तों में परिवर्तन) करता है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन के बाद लेनदेन के रूप में छुट्टी दी जाती है।

तत्काल मामले में, श्री गणेश एबीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा पहले छम महीनों के दौरान श्री चिंटू द्वारा नकदी की हेराफेरी के कारण होने वाले नुकसान के लिए एक निश्चित रूप से उत्तरदायी हैं, लेकिन वेतन में कमी के बाद किए गए दुरूपयोगों के लिए नहीं।

इसलिए, श्री गणेश, पहले छह महीनों के दौरान, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन से पहले श्री चिंटू के कृत्य के लिए एक निश्चितता के रूप में उत्तरदायी होंगे। श्री गणेश की सहमति

© The Institute of Chartered Accountants of India

के बिना अनुबंध की शर्तों में भिन्नता (वेतन में कमी के रूप में, श्री गणेश को इस तरह की भिन्नता के बाद श्री चिंटू के अधिनियम के प्रति सभी देनदारियों से मुक्त कर देगा।

10. आदेश करने के लिए देय चेक

नियोग योग्य उपकरण अधिनियम, 1881 की धारा 85 के अनुसार।

(1) जहां चेक का भुगतान करने वाले या भुगतान करने वाले की ओर से भुगतान करने का आदेश देने के लिए देय चेक को देय अवधि में भुगतान द्वारा छुट्टी दे दी जाती है।

(2) जहा¡ एक चेक मूल रूप से वाहक के लिए देय होने के लिए व्यक्त किया जाता है, आहरणकर्ता को उसके पाठ्यक्रम में भुगतान के कारण छुट्टी दी जाती है, इसके बावजूद कि क्या कोई पूर्ण या रिक्त रूप में दिखाई दे रहा है, और इस बात के बावजूद कि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध प्रतिबंधित है या आगे की बातचीत को छोड़ दें।

दिए गए तथ्यों के अनुसार, चेक मि. विकास। यह खो गया था और श्री विकास के रूप में ही पता नहीं था। उस व्यक्ति ने चेक पाया और जाली और उसे श्री पावन को समर्थन दिया, जिसने चेक को बैंक से अलग किया। कुछ दिनों के बाद, श्री विकास ने चेक की चोरी के बारे में, ड्रेवी बैंक को सूचित किया, तब तक, ड्र्राई बैंक ने पहले ही भुगतान कर दिया था।

उपर्युक्त धारा 85 के अनुसार, ड्रॉअर बैंकर के छुट्टी दे दी जाती है, जब उसने चेक का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ भुगतान किया है जब उसे भुगतान करने वाले या उसकी ओर से भुगतान किया जाना है। हालांकि श्री के हस्ताक्षर विकास रूप में जाली है, बैंकर सुरक्षित है और छुट्टी दे दी है। सच्चा मालिक, श्री विकास, इस स्थिति में ड्रॉ बैंक से पैसा नहीं वसूल सकता है।

11. "अचल संपत्ति" [धारा 3 (26) के जनरल क्लॉस एक्ट, 1897] :'अचल संपत्ति' में शामिल होंगेः

(i) भूमि,

(ii) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, और

(iii) पृथ्वी से जुड़ी चीजें, या

(iv) पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए स्थायी रूप से उपवास किया गया।

यह एक समावेशी परिभाषा है। इसमें चार तत्व शामिल हैंः भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें और स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी चीजों के लिए उपवास। जहां, किसी भी अधिनियम में, अचल संपत्ति की परिभाषा नकारात्मक और संपूर्ण नहीं है, सामान्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

नियम अधिनियम में दी गई परिभाषा उस अधिनियमन में दी गई अभिव्यक्ति पर लागू होगी।

तत्काल मामले में, व्यास ने अपनी भूमि के पचास इमली के पेड़ों की लकड़ी (पेड़ों को काटने के बाद प्राप्त) के साथ बेच दिया। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, भूमि अचल संपत्ति है; हालाँकि, लकड़ी अचल संपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ी नहीं है।

12. एक प्रोविजो का सामान्य कार्य कुछ अधिनियमितियों को छोड़कर या अधिनिर्णय में कही गई किसी चीज को योग्य बनाना है जो प्रोविजो के न होने पर इसके दायरे में होगा। प्रोविजो का प्रभाव पूर्ववर्ती अधिनियमन को अर्हता प्राप्त करने के लिए है जो बहुत सामान्य हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक प्रोविजो को लागू करने के लिए एक अधिनियम में जोड़ा जाता है या एक अपवाद बनाने के लिए जो कि अधिनियमन में है, आमतौर पर एक प्रोविजो की व्याख्या नहीं की जाती है क्योंकि यह एक सामान्य नियम बताते हैं।

यह व्याख्या का एक कार्डिनल नियम है कि एक विशेष प्रावधान के लिए प्रोविजो केवल उस क्षेत्र को शामिल करता है जो मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया गया है। यह उस प्रावधान को छोड़ दता है, जिसके प्रावधान के रूप में इसे अनंतिम के रूप में अधिनियमित किया गया है और दूसरे को नहीं। (राम नारायण संस लिमिटेड बनाम बिक्री कर के सहायक आयुक्त । AIR, 1995 SC 765)

© The Institute of Chartered Accountants of India